श्री भवानी निकेतन स्नातकोत्तर महाविद्यालय

राजस्थान विश्वविद्यालय से सम्बद्ध

हमारे संस्थापक
ले. ज. महाराजाधिराज सर, सवाई मानसिंह जी बहादुर द्वितीय
जी. सी. आई. ई. महाराज, जयपुर

विवरणिका
सत्र : 2025-26

महाराव शेखाजी सेतु, सीकर रोड़, जयपुर - 302039
फोन : 0141-2233863, 9414520449, 9414623867, 9928463122
ईमेल : sbnboyscollege@gmail.com
वेबसाईट : www.sbnboyscollege.com

शुल्क
रू.200/-

हमारे संस्थापक

ले. ज. महाराजाधिराज सर, सवाई मानसिंह जी बहादुर द्वितीय
जी. सी. आई. ई. महाराज, जयपुर

श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति

कार्यकारी परिषद्

2025

बांये से दायें

श्री महेन्द्र सिंह राठौड़ उपाध्यक्ष, श्री दिलीप सिंह शेखावत कार्यकारिणी सदस्य, डॉ. अभय सिंह राठौड़ शिक्षा सलाहकार, श्री श्याम सिंह मण्ढा कोषाध्यक्ष, श्री नगेन्द्र सिंह राठौड़ अध्यक्ष, श्री जालिम सिंह शेखावत कार्यकारिणी सदस्य, श्री सुदर्शन सिंह शेखावत सचिव, श्री गुलाब सिंह मेड़तिया कार्यकारिणी सदस्य, श्री सम्पत सिंह शेखावत कार्यकारिणी सदस्य, श्री जालिम सिंह हुडील संयुक्त सचिव

कार्यकारी परिषद्

क्र.सं.	नाम पदाधिकारी/सदस्य	पद	दूरभाष नम्बर
1	श्रीमान् नगेन्द्र सिंह राठौड़	अध्यक्ष	9460726858
2	श्रीमान् महेन्द्र सिंह राठौड़	उपाध्यक्ष	9414324014
3	श्रीमान् सुदर्शन सिंह शेखावत	सचिव	9461519572
4	श्रीमान् जालिम सिंह हुडील	संयुक्त सचिव	9829348404
5	डॉ. अभय सिंह राठौड़	शिक्षा सलाहकार	9413279323
6	श्रीमान श्याम सिंह मण्ढा	कोषाध्यक्ष	9829430949
7	श्रीमान् जालिम सिंह शेखावत	कार्यकारिणी सदस्य	0141-2340156
8	श्रीमान् दिलीप सिंह शेखावत	कार्यकारिणी सदस्य	9413342527
9	श्रीमान् गुलाब सिंह मेड़तिया	कार्यकारिणी सदस्य	9351511692
10	श्रीमान् सम्पत सिंह शेखावत	कार्यकारिणी सदस्य	9314833890

सहवरित सदस्य

11	श्रीमती चेतना शर्मा	शिक्षक प्रतिनिधि सदस्य	9460046290
12	श्रीमती सुधा कास्ट	अभिभावक प्रतिनिधि सदस्य	9929577732
13	श्रीमती शिखा गुर्जर	पूर्व छात्र प्रतिनिधि सदस्य	8107309264
14	डॉ0 अर्चना अग्रवाल	संस्था प्रधान प्रतिनिधि सदस्य	9460932932
15	श्रीमती नीलम	सामाजिक कार्यकर्त्ता सदस्य	9929577731

संदेश

मुझे हार्दिक प्रसन्नता है कि श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं में श्री भवानी निकेतन स्नातकोत्तर महाविद्यालय जयपुर शहर के पश्चिम क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों की वैश्विक जरूरते उनकी ज्ञान पिपासा, उनके सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिये सतत् प्रयत्नशील है। यह महाविद्यालय मिशन के रूप में आजीवन सीखने की प्रवृत्ति का विकास करता है एवं सभी को निष्पक्ष समान अवसर प्रदान करते हुये अपने व्यक्तित्व के निर्माण के अवसर प्रदान करता है। महाविद्यालय छात्रों के व्यक्तित्व विकास, आधुनिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक चिंतन को बढ़ाने, अपने नागरिक कर्त्तव्यों का निर्वहन करने, सामाजिक कल्याण, सामाजिक चेतना, भारतीय मूल्यों को सीखने का माहौल प्रदान करता है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा में संस्था के छात्रों का चयन प्रशंसनीय है। यह संस्था अध्ययन एवं अध्यापन की श्रेष्ठता का परिचायक है।

महाविद्यालय के इस प्रांगण में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु सामाजिक/सांस्कृतिक गतिविधियां यथा प्रश्नोत्तरी, वाद-विवाद, विषय-विशेषज्ञों एवं प्रबुद्ध व्यक्तियों के व्याख्यान, सेमीनार का आयोजन किया जाता है। यहाँ की एन.सी.सी. के छात्र-छात्राएं 26 जनवरी एवं 15 अगस्त को नई दिल्ली में होने वाली परेड में हमेशा भाग लेते है व अनेक छात्र भारतीय सेनाओं में अधिकारी एवं सैनिक के पदों पर सेवाएं दे रहे है। महाविद्यालय के अनेक छात्र पुलिस विभाग में अधिकारी एवं कॉन्सटेबल के पदों पर कार्यरत् है। एन.एस.एस. स्काउटिंग, शैक्षणिक भ्रमण, सामुदायिक सेवा आदि गतिविधियाँ उल्लेखनीय है, एवं विद्यार्थियों के श्रेष्ठ व्यक्तित्व का निर्माण करने में सक्षम है।

मुझे आशा है कि महाविद्यालय के विद्यार्थी यहाँ अपने सपनों को साकार करेंगे एवं अनुभवी प्रवक्ताओं, विषय विशेषज्ञों एवं कर्मचारियों का मार्गदर्शन प्राप्त करते हुये संस्थान का नाम रोशन करेंगे और अपनी वैश्विक जरूरतों व जीविकोपार्जन में सफलता प्राप्त करते हुये खुशहाल जीवन-यापन करेंगे।

नगेन्द्र सिंह राठौड़
अध्यक्ष

संदेश

प्रिय अभिभावकगण एवं विद्यार्थीगण,

श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति के भव्य प्रांगण में स्थित प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थाओं में प्रवेशार्थ पधारने पर आपका स्वागत है। इस परिसर के विकास हेतु जयपुर के पूर्व महाराजा स्व.ले.ज. महाराजाधिराज सर सवाई मानसिंह जी बहादुर द्वितीय जी.सी.आई.ई. ने सन् 1942 में 501 बीघा भूमि शिक्षा के प्रसार हेतु राजपूत समाज को प्रदान की।

शिक्षा की पावन ज्योति को पूर्व महाराजाधिराज ने सन् 1944 में बसंत पंचमी के सुअवसर पर एक आवासीय विद्यालय की स्थापना कर प्रज्जवलित किया। इस भूमि में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना हेतु राजपूत समाज ने श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति का गठन किया एवं श्री भवानी निकेतन एज्यूकेशन एण्ड चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की। कालान्तर में समिति एवं ट्रस्ट के अथक प्रयासों से 12 शिक्षण संस्थाओं की स्थापना हुई। यहाँ विद्यार्थी प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा तक अध्ययन पूरा कर शिक्षक प्रशिक्षण, अभियान्त्रिकी एवं कानून की रोजगारोन्मुख शिक्षा भी प्राप्त कर सकता है। IGNOU द्वारा रोजगारोन्मुखी पाठयक्रमों के अध्ययन की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है। यहाँ शिक्षा के साथ-साथ विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु राज्य एवं राष्ट्रीय श्रेष्ठता प्राप्त एन.सी.सी., एन.एस.एस. रोवर स्काउटिंग एवं खेल गतिविधियाँ संचालित होती है। यहाँ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट अकादमी, इन्डोर स्टेडियम, स्विमिंग पूल, बास्केटवॉल, फुटबाल, बालीवॉल, बैडमिन्टन, टेबिल टेनिस, स्पोर्ट्स की सुविधाऐं उपलब्ध हैं एवं घुडसवारी की सुविधा भी उपलब्ध है। मैं आप सभी को यह आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इस प्रांगण में स्थित संस्थाओं में प्रवेश प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को अनुशासित वातावरण में प्रबुद्ध शिक्षकगणों द्वारा अध्यापन कार्य करवाया जायेगा एवं अन्य पाठयेत्तर गतिविधियों की श्रेष्ठता के कारण विद्यार्थी राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर अपना स्थान बनाने में सक्षम होंगे।

सरस्वती के इन पावन मन्दिरों में विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना हमारा ध्येय है। इस ध्येय की प्राप्ति हेतु हम सब को अनुशासन, गरिमामय व्यवहार, अध्ययन में नियमितता एवं एकाग्रता बनाये रखनी होगी। मुझे विश्वास है कि हमारी संस्थाओं के विद्यार्थी राष्ट्रीयता, नैतिकता एवं सांस्कृतिक मूल्यों से परिपूर्ण होकर श्रेष्ठ नागरिक बनेंगे एवं कठोर परिश्रम, दूरदृष्टि, दृढ़विश्वास एवं अनुशासन से अपना पावन लक्ष्य प्राप्त करेंगे।

सुदर्शन सिंह सुरपुरा
सचिव

संदेश

प्रिय अभिभावकगण एवं विद्यार्थीगण,

श्री भवानी निकेतन स्नातकोत्तर महाविद्यालय की स्थापना जुलाई, 1997 में वाणिज्य एवं कला संकाय के साथ हुई। वर्तमान में महाविद्यालय में विज्ञान, कला एवं वाणिज्य तीनों संकाय संचालित है। कला संकाय में नवीन विषय शारीरिक शिक्षा प्रारम्भ किया जा चुका है। स्नातकोत्तर स्तर पर भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान, लेखा एवं सांख्यिकी, रसायनशास्त्र, भौतिकशास्त्र, गणित, वनस्पतिशास्त्र एवं प्राणीशास्त्र विषयों के अध्ययन् की सुविधाऐं उपलब्ध है। सामान्य पाठ्यक्रमों के साथ प्ळछब्-द्वारा रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों के अध्ययन की सुविधाऐं भी श्री भवानी निकेतन परिसर में ही उपलब्ध करवाई जा रही हैं। महाविद्यालय की प्रयोगशालाऐं उपकरणों से सुसज्जित है एवं पुस्तकालय में लगभग 18750 पुस्तकें उपलब्ध है। महाविद्यालय शेखा सर्किल स्थित बस स्टेण्ड एवं ढहर के बालाजी रेलवे स्टेशन के निकट स्थित है। जिससे यह जयपुर शहर के पश्चिमी अंचल एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए अत्यन्त सुविधाजनक है।

महाविद्यालय का विशाल, सुन्दर, हरितमयी प्रांगण अध्ययन् एवं अन्य अकादमिक गतिविधियों के लिए उपलब्ध है। यहाँ का परीक्षा परिणाम सदैव 95 प्रतिशत से अधिक रहा है। महाविद्यालय की पाठयेत्तर गतिविधियाँ यथा एन.सी.सी., एन.एस.एस., स्काउटिंग एवं खेल गतिविधियों की राज्य स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान है। इस महाविद्यालय के विशाल खेल मैदान, स्विमिंग पूल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी एवं सभागारों की सुविधाऐं अन्य संस्थाओं की अपेक्षा श्रेष्ठ है। महाविद्यालय में रोजगार सलाह केन्द्र कार्यरत है। जिसके माध्यम से कारपोरेट सेक्टर में रोजगार उपलब्ध करवाये जाते हैं। महाविद्यालय में सत्र 2023-24 से बी.बी.ए. एवं बी.सी.ए. कोर्सेस प्रारंभ किये जा चुके है। इन गतिविधियों के फलस्वरूप यहाँ विद्यार्थियों को श्रेष्ठ व्यक्तित्व के निर्माण के सुअवसर प्राप्त होते है। यही कारण है कि आज इस महाविद्यालय के सैकड़ों छात्र कॉरपोरेट सेक्टर, केन्द्रीय एवं राज्य स्तरीय सेवाओं में अपना स्थान बना चुके है।

अतः आप इस महाविद्यालय में प्रवेश लेकर अपने श्रेष्ठ व्यक्तित्व का निर्माण कर एवं विभिन्न गतिविधियों में श्रेष्ठ प्रदर्शन कर संस्था का नाम रोशन करें। हम आप से अनुशासित रह कर अध्ययन् करने की अपेक्षा रखते हैं एवं आपकी समस्याओं का निराकरण करने हेतु सदैव तत्पर रहने का आश्वासन देते है।

डॉ. महेश हापावत
प्राचार्य
श्री भवानी निकेतन स्नातकोत्तर महाविद्यालय
सीकर रोड़, जयपुर

सैनिक स्कूल के स्थापना दिवस पर श्री राजनाथ सिंह जी का आगमन और एनसीसी कैडेट्स द्वारा सलूट

महाविद्यालय प्रागंण में 26 जनवरी के भव्य समारोह के समारोह अध्यक्ष श्रीमान् राव राजेन्द्र सिंह जी, सचिव श्री सुदर्शन सिंह जी एवं कार्यकारिणी सदस्य श्री समस्त सिंह जी धमोरा के साथ महाविद्यालय प्राचार्य एवं NCC कैडेट्स

एनसीसी कैडेट्स के साथ राजनाथ सिंह जी का ग्रुप फोटो

एनसीसी कैडेट्स के साथ प्राचार्य महोदय एवं एनसीसी के प्रमुख प्रभारी

College Faculty & Staff

महाविद्यालय प्राचार्य डॉ0 महेश हापावत के साथ महाविद्यालय के प्रवक्तागण

महाविद्यालय प्राचार्य के साथ महाविद्यालय कला वर्ग के प्रवक्तागण

महाविद्यालय प्राचार्य के साथ महाविद्यालय वाणिज्य वर्ग के प्रवक्तागण

महाविद्यालय प्राचार्य के साथ महाविद्यालय विज्ञान वर्ग के प्रवक्तागण

महाविद्यालय प्राचार्य के साथ महाविद्यालय के गैर शिक्षण कर्मचारीगण

महाविद्यालय प्राचार्य के साथ महाविद्यालय के सहायक कर्मचारीगण

NSS Activities in Mahavidyalaya

एनएसएस स्वयंसेवकों द्वारा स्वच्छता ही सेवा अभियान कार्यक्रम

एनएसएस स्वयंसेवकों स्वच्छता के लिए संकल्प लेते हुए

रन फॉर विकसित राजस्थान कार्यक्रम में एनएसएस के प्रतिभागी

रन फॉर विकसित राजस्थान की दौड़ में शामिल होने के लिए जाते एनएसएस के प्रतिभागी

नगर निगम जयपुर के स्वच्छता अभियान में शामिल एनएसएस के प्रतिभागी

सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान में शामिल एनएसएस के प्रतिभागी

एनएसएस द्वारा एक कदम स्वच्छता की ओर .....

गोद ली हुई बस्ती में आंगनबाड़ी के बच्चों के साथ एनएसएस के स्वयंसेवक

एनएसएस का सात दिवसीय विशेष शिविर

एनएसएस के तहत नेत्र जांच शिविर का आयोजन

संविधान दिवस कार्यक्रम में शपथ लेते हुए एनएसएस टीम

स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश हेतु निर्धारित संख्या

स्नातक पाठ्यक्रम

क्र.सं.	संकाय	प्रवेश हेतु निर्धारित संख्या
(1)	बी. ए. NEP	600
(2)	बी.कॉम. NEP	660
(3)	बी.एस.सी. (गणित वर्ग) NEP	480
(4)	बी.एस.सी. (जीव विज्ञान वर्ग) NEP	180

प्रोफेशनल पाठ्यक्रम

(1)	बी.बी.ए. NEP	60
(2)	बी.सी.ए. NEP	120

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

क्र.सं.	संकाय	प्रवेश हेतु निर्धारित संख्या
(1)	एम.ए. (राजनीति विज्ञान)	40
(2)	एम.ए. (भूगोल)	40
(3)	एम.ए. (इतिहास)	40
(4)	एम.कॉम (ए.बी.एस.टी.)	40
(5)	एम.एससी. (रसायन शास्त्र)	40
(6)	एम.एससी. (वनस्पति शास्त्र)	40
(7)	एम.एससी. (प्राणी शास्त्र)	40
(8)	एम.एससी. (भौतिक शास्त्र)	40
(9)	एम.एससी. (गणित)	40

पाठ्यक्रम विषय

क्र.सं.	संकाय	विषय
(1)	बी.ए. NEP	हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, राजनीति विज्ञान, इतिहास, समाज शास्त्र, लोक प्रशासन, संस्कृत, अर्थ शास्त्र, भूगोल, शारीरिक शिक्षा
(2)	बी.कॉम. NEP	ए.बी.एस.टी., ई.ए.एफ.एम, व्यावसायिक प्रशासन
(3)	बी.एससी.(गणित वर्ग) NEP	भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, भूगोल
(4)	बी.एससी.(जीव विज्ञान वर्ग) NEP	रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, भूगोल

प्रार्थना

श्री भवानी निकेतन

श्री भवानी निकेतन हमको प्रिय है।
मिलती यहाँ अधुना शिखा।
नव विज्ञान की, सद् ज्ञान की शिक्षा।।
सद् ज्ञान ही परम धैय है।
श्री भवानी निकेतन हमको प्रिय है।।

जन कल्याण की रीत पुरातन।
यही सिखाते ज्ञानी गुरू जन।।
जन गण हित ही उच्च लक्ष्य है।
श्री भवानी निकेतन हमको प्रिय है।।

लोक हितेषी, सेवा शिक्षा।
राष्ट्र, सुरक्षा प्रथम है यह दीक्षा।।
छात्र उन्नति परम ध्येय है।
श्री भवानी निकेतन हमको प्रिय है।।

अक्षय ज्ञान का यह है सागर।
जितना चाहो भरलो गागर।।
सद् शिक्षा ही परम ध्येय है।
श्री भवानी निकेतन हमको प्रिय है।।

होता यहाँ नित प्रवाह ज्ञान का।
छात्र बने प्रकाश दीप का।।
संचालक गण का सोच यही है।
श्री भवानी निकेतन हमको प्रिय है।।

अद्भुत नूतन यह ज्ञान सरोवर।
हरीतमा युक्त परिसर सारा।।
अद्भुत नूतन यह ज्ञान पीठ है।
श्री भवानी निकेतन हमको प्रिय है।।

शिक्षा सदन बने हैं अति सुन्दर।
मन मोहक स्वास्थ्य धरोहर।।
हरित दुर्वा युक्त क्रिडागन अति न्यारे।
श्री भवानी निकेतन हमको प्रिय है।।

इसमें भरे हैं ज्ञान के मोती।
मानव हित है लक्ष्य सभी का।
आओ सब मिलकर गाये।
श्री भवानी निकेतन हमको प्रिय है।।

प्रवेश नीति 2025–2026

प्रथम भाग

प्रस्तावना एवं उद्देश्य

राष्ट्र के हित में शिक्षा, मानव क्षमता के उन्नयन, न्यायसंगत और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण एवं उत्कृष्ट शिक्षा तथा युवाओं को समर्थ बनाने में योगदान देने वाली उच्च शिक्षा के लक्ष्य के अनुरूप और राजस्थान को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए प्रवेश नीति संचरित है। प्रवेश नीति की संरचना के प्रमुख उद्देश्य निम्नांकित हैं :–

1. प्रवेश प्रक्रिया सरल, सहज, सुगम एवं पारदर्शी हो इस उद्देश्य से समस्त राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक भाग प्रथम तथा स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध की कक्षाओं में ऑन लाईन प्रक्रिया द्वारा प्रवेश कार्य होगा। स्नातक भाग द्वितीय, तृतीय तथा स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध कक्षाओं में एकीकृत प्रवेश प्रक्रिया संचालित रहेगी।
2. उच्च शिक्षा में गुणात्मक स्तर बनाये रखने के लिये स्नातक व स्नातकोत्तर कक्षाओं में सम्बद्धक विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षा नियामक संस्थानों के मानदण्डों को दृष्टिगत रखकर पात्रता एवं न्यूनतम अर्हता संबंधी मानदण्ड निर्धारित किये गये है।
3. समावेशी विकास नीति के अन्तर्गत –
   - (i) सत्र 2025–26 से अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर प्रवेश दिये जा रहे है।
   - (ii) उच्च शिक्षा से वंचित मूकबधिर तथा दृष्टिहीन अभ्यर्थियों को सत्र 2023–24 से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने सम्बन्धी नियमों में राज्य सरकार ने शिथिलता प्रदान करते हुए किसी भी अकादमिक सत्र में प्रवेश हेतु अन्तराल सम्बन्धी नियमों को पूर्णतः निरस्त कर दिया है।
   - (iii) जनजाति उपयोजना क्षेत्र (टी.एस.पी.) में अवस्थित महाविद्यालयों में न्यूनतम विद्यार्थी संख्या मानदण्ड में 25 प्रतिशत की छूट रहेगी।
   - (iv) महिला नामांकन दर में अभिवृद्धि को प्रोत्साहित करने हेतु सहशिक्षा महाविद्यालयों में महिला अभ्यर्थी को नियम 6.7.10 अ के अन्तर्गत 3 प्रतिशत बोनस दिये जाने के साथ–साथ अन्तराल संबंधी नियमों में छूट देने का प्रावधान भी किया गया है, ताकि अधिक आयु वाली उच्च शिक्षा की इच्छुक महिला अभ्यर्थियों को नियमित उच्च शिक्षण के अवसर प्राप्त हो सके।
   - (v) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग (More Backward Class) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों के लिये प्रवेश नीति में राज्य सरकार के नियमानुसार आरक्षण व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।
   - (vi) पाक विस्थापित, कश्मीर प्रवर्जित एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों को उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने के लिए भारत / राज्य सरकार के द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार प्रवेश नीति में विशेष प्रावधान किये गये है।
   - (vii) ट्रांसजेण्डर अभ्यर्थियों को ससम्मान उच्च शिक्षण संस्थाओं में (केवल सहशिक्षा महाविद्यालयों में) प्रवेश मिले, इस हेतु उच्च शिक्षा विभाग द्वारा लिये गये विशेष निर्णय के अन्तर्गत उन्हें न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश दिया जायेगा।
   - (viii) भारतीय सेना व केन्द्रीय सशस्त्र बलों तथा राजस्थान पुलिस के कार्मिकों व पूर्व कार्मिकों के पुत्र / पुत्री / पत्नी को प्रवेश हेतु 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित करने के साथ–साथ शहीदों के आश्रितों को न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश का प्रावधान है।
   - (ix) समग्र व्यक्तित्व विकास से सम्बद्ध सहशैक्षणिक, खेलकूद, समाज सेवा आदि से संबंधित गतिविधियों में उत्कृष्ट एवं उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए प्रवेश हेतु प्राथमिकता तथा बोनस अंकों का प्रावधान है।
   - (x) वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को रोजगारोन्मुखी बनाने के लिए एवं कौशल प्रशिक्षण को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों एवं पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों के मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों को कक्षा बारहवीं के समकक्ष माना गया है।
   - (xi) प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क शिक्षण एवं मार्गनिर्देशन हेतु ज्ञानसुधा कार्यक्रम राज्य के समस्त राजकीय महाविद्यालयों में संचालित है।
   - (xii) प्रत्येक महाविद्यालय में गरीब विद्यार्थियों के लिए आचार्यो / सह / सहायक आचार्यों द्वारा बुक बैंक की स्थापना।
   - (xiii) जिन अभ्यर्थियों के माता / पिता अथवा दोनों की तथा जिन महिला अभ्यर्थियों के पति की मृत्यु कोरोना से हो गई है, उन्हें महाविद्यालय में न्यूनतम् उत्तीर्णांक पर अतिरिक्त सीटों पर निःशुल्क प्रवेश दिया जावेगा।
   - (xiv) शैक्षणिक सत्र 2025–26 से राजकीय महाविद्यालयों (सहशिक्षा) में प्रवेश में कुल स्वीकृत सीटों में से 30 प्रतिशत सीटें (क्षैतिज) महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी।
   - (xv) शैक्षणिक सत्र 2025–26 से राजकीय महाविद्यालयों में आत्मरक्षा की उच्चतम श्रेणी ब्लैक बेल्ट (Black Belt) योग्यताधारी छात्राओं को प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु 05 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किए जाएंगे।
   - (xvi) शैक्षणिक सत्र 2025–26 से राजकीय महाविद्यालयों में मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अल्प आय वर्ग, लघु / सीमांत / बटाईदार किसानों और खेतिहर श्रमिकों के परिवारों के अध्ययनरत छात्र–छात्राओं की राजकीय निधि कोष की देय राशि माफ होगी।

द्वितीय भाग
स्नातक पार्ट प्रथम (सेमेस्टर-I) में प्रवेश के नियम

2.1 प्रवेश मानदण्ड एवं पात्रता

तालिका 2.1
स्नातक पास कोर्स व आनर्स कोर्स के पार्ट प्रथम (सेमेस्टर-I) में प्रवेश हेतु मानदण्ड

अभ्यर्थियों का प्रकार	अर्हकारी परीक्षा* में न्यूनतम पात्रता प्रतिशत	
	पासकोर्स	ऑनर्स
राजस्थान में अवस्थित किसी भी विद्यालय से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण **अथवा** राजस्थान के निवासी (पंचम भाग के नियम–2 में परिभाषित) जो राजस्थान राज्य के अलावा अन्य किसी स्थान से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण हो।	कला संकाय – 45 वाणिज्य संकाय – 45 विज्ञान संकाय – 48	कला संकाय – 48 वाणिज्य संकाय – 48 विज्ञान संकाय – 50
राजस्थान के अलावा अन्य किसी स्थान से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण हो तथा राजस्थान के निवासी न हो।	60	60

प्रोफेशनल पाठ्यक्रम **अर्हकारी परीक्षा* में न्यूनतम पात्रता प्रतिशत**

(1)	बी.बी.ए. NEP	48
(2)	बी.सी.ए. NEP	48

*अर्हकारी परीक्षा से आशय मान्यता प्राप्त बोर्ड से नियमित या स्वयंपाठी अभ्यर्थी के रूप में उत्तीर्ण 10+2 **या** समकक्ष परीक्षा है।

कक्षा 12 की समकक्षता हेतु –

(1) कक्षा 10 वीं उत्तीर्ण होने के पश्चात् दो या दो से अधिक वर्ष का नेशनल काउसिंल फार वोकेशनल ट्रेनिंग (NCVT) से मान्यता प्राप्त कोर्स उत्तीर्ण करने व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान/राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर से 12 वीं के लिये निर्धारित कोर्स के अनुसार अंग्रेजी विषय की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं तो उन्हें आगे की शिक्षा में प्रवेश हेतु 12 वीं उत्तीर्ण के समकक्ष माना जायेगा।

(2) यह समकक्षता उसी स्थिति में देय होगी जब अंग्रेजी व आई.टी.आई. की अंतिम वर्ष की परीक्षा एक ही वर्ष में उत्तीर्ण की हो अथवा अंग्रेजी की परीक्षा आई.टी.आई. करने के पश्चात उत्तीर्ण की हो।

(3) 10 वीं उत्तीर्ण करने के पश्चात् नेशनल काउसिंल फार वोकेशनल ट्रेनिंग (NCVT) के दो या दो से अधिक वर्षों का मान्यता प्राप्त कोर्स उत्तीर्ण (आदेशों से पूर्व/पश्चात) कर चुके विद्यार्थी 12 वीं की समकक्षता अंग्रेजी की परीक्षा राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर/माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान से उत्तीर्ण करने पर प्राप्त कर सकेगे।

(4) 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात तथा किसी मान्यता प्राप्त पोलीटेक्निक कॉलेज से 3 वर्ष का ऑल इण्डिया काउन्सिल फॉर टेक्निकल एजूकेशन (AICTE) से मान्यता प्राप्त कोर्स उत्तीर्ण करने पर उन्हें शिक्षा में प्रवेश हेतु कक्षा 12 वीं उत्तीर्ण के समकक्ष माना जायेगा।

नोट :–

(i) ITI (NCVT) एवं RBSE/RSOS बोर्ड के माध्यम से 12वीं के लिए निर्धारित कोर्स के अनुसार अंग्रेजी विषय दोनों में उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही प्रवेश हेतु कक्षा 12वीं के समकक्ष मान्य होंगे।

(ii) उक्त बिन्दुओं में वर्णित 12 वीं की समकक्षता प्राप्त करने पर विद्यार्थी को विज्ञान संकाय (गणित वर्ग) का विद्यार्थी माना जायेगा।

2.1.1. सभी पात्र आवेदकों को प्रवेश देने के पश्चात् यदि किसी कक्षा/विषय के स्वीकृत वर्ग (विधि संकाय को छोड़कर) में स्थान रिक्त रह जाये तो, उपर्युक्त पात्रता में 3 प्रतिशत तक की छूट देकर रिक्त स्थानों को वरीयता क्रम में भरा जा सकेगा। इसके लिए उक्त न्यूनतम पात्रता प्रतिशत से 3 प्रतिशत कम तक के अभ्यर्थियों के आवेदन–पत्र स्वीकार किये जा सकेंगे। फिर भी महिला महाविद्यालयों में स्थान रिक्त रहने पर न्यूनतम उत्तीर्णांक तक प्रवेश देय होगा।

तालिका 2.2

स्नातक पार्ट प्रथम (सेमेस्टर-I) में अभ्यर्थियों की संकायानुसार पात्रता

स्नातक पार्ट प्रथम (सेमेस्टर-I) में प्रवेश के लिए आवेदित संकाय	उत्तीर्ण अर्हकारी परीक्षा का संकाय
कला / वाणिज्य	कला / वाणिज्य / विज्ञान / कृषि संकाय
विज्ञान – गणित वर्ग	केवल विज्ञान संकाय – गणित समूह*
विज्ञान – जीव विज्ञान वर्ग	केवल विज्ञान संकाय जीव – विज्ञान समूह*

*अर्हकारी परीक्षा में गणित / जीव विज्ञान को अतिरिक्त विषय के रूप में लेकर उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी दोनों विषय समूहों के लिए आवेदन कर सकते है।

2.1.2. कृषि पाठ्यक्रम से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों के विज्ञान संकाय में प्रवेश के लिए सम्बद्धक विश्वविद्यालय के नियमों का पालन किया जावेगा, परन्तु पात्रता तालिका 2.1 के अनुसार ही रहेगी।

2.1.3 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से व्यवसायिक पाठ्यक्रमों (वोकेशनल कोर्स) में अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को केवल कला एवं वाणिज्य संकाय में ही प्रवेश दिया जा सकेगा, ऐसे अभ्यर्थियों की प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारित करने हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत में से 5 प्रतिशत अंक घटा दिये जायेंगे।

2.1.4 जिन अभ्यर्थियों ने 12वीं कक्षा अतिरिक्त विषय लेकर उत्तीर्ण की है उन अभ्यर्थियों की प्रवेश वरीयता निर्धारण हेतु सर्वाधिक अंकों वाले 05 विषयों के प्राप्तांकों को जोड़ा जायेगा, जिसमें एक भाषा का होना अनिवार्य है। अन्य 04 विषयों में अधिकतम एक भाषा का और चयन किया जा सकता है। विज्ञान संकाय के अभ्यर्थियों के गणित / जीव विज्ञान वर्ग में प्रवेश चाहने पर उनकी प्रवेश वरीयता निर्धारण करते समय श्रेष्ठ पांच विषयों के प्राप्तांकों में एक भाषा तथा वांछित विषय (गणित / जीव विज्ञान) के प्राप्तांकों को सम्मिलित कर प्राप्तांक प्रतिशत की गणना की जावेगी।

2.2 वर्ग में प्रवेश सीमा

2.2.1 कला एवं वाणिज्य संकाय की प्रत्येक कक्षा / विषय के एक वर्ग (सेक्शन) में अधिकतम 80 विद्यार्थियों एवं विज्ञान संकाय की प्रत्येक कक्षा / विषय के एक वर्ग (सेक्शन) में अधिकतम 70 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा सकता है।

2.2.2 (i) स्नातक स्तर पर पार्ट प्रथम (पास / ऑनर्स कोर्स) में किसी कक्षा / विषय में प्रविष्ट विद्यार्थियों की संख्या 20 से कम रहने की स्थिति में उस कक्षा / विषय को वर्तमान शिक्षण सत्र में जारी नहीं रखा जायेगा तथा विद्यार्थियों को अन्य वांछित कक्षाओं में प्रवेश देकर उनके द्वारा जमा करवाये गये शुल्क को समायोजित कर दिया जायेगा और इसकी सूचना प्राचार्य द्वारा आयुक्त / निदेशक कॉलेज शिक्षा को दी जायेगी।

(ii) समस्त महिला महाविद्यालय के समस्त विषयों में तथा सहशिक्षा महाविद्यालयों में कला संकाय के चित्रकला, अंग्रेजी, गृह विज्ञान, जेनोलॉजी, संगीत, सिन्धी, दर्शनशास्त्र, लोक प्रशासन, मनोविज्ञान, पंजाबी, राजस्थानी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, अर्थशास्त्र एवं विज्ञान संकाय के भूगर्भ शास्त्र विषयों तथा टी.डी.पी. (टेक्सटाईल–डाईंग एण्ड प्रिंटिंग) की स्नातक पार्ट प्रथम में न्यूनतम विद्यार्थी संख्या 10 से कम रहने की स्थिति में उस विषय का शिक्षण वर्तमान सत्र में जारी नहीं रखा जायेगा।

(iii) जनजाति उपयोजना क्षेत्र में स्थित महाविद्यालयों के लिए (i) एवं (ii) में निर्धारित न्यूनतम संख्या में 25 प्रतिशत की छूट रहेगी।

2.3 अन्तराल के पश्चात् प्रवेश

2.3.1 अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात्, दो अकादमिक सत्रों से अधिक अन्तराल व्यतीत होने पर नियमित / स्वयंपाठी आवेदक को अगली कक्षा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

2.3.2 अन्तराल संबंधी उपर्युक्त नियम मूक–बधिर, दृष्टिहीन अभ्यार्थियों व महिला अभ्यर्थियों पर लागू नहीं होंगे।

2.4 संकाय/विषय/ऑनर्स कोर्स में परस्पर परिवर्तन

2.4.1 किसी भी संकाय में प्रवेश के बाद संकाय परिवर्तन के इच्छुक विद्यार्थियों के आवेदन पर तब ही विचार किया जा सकेगा जब इच्छित संकाय की कक्षा में स्थान रिक्त हों तथा परिवर्तन के इच्छुक विद्यार्थी के प्राप्तांक प्रतिशत इच्छित संकाय / विषय / ऑनर्स कोर्स में संबद्धक वर्ग में प्रविष्ट अंतिम विद्यार्थी के प्राप्तांक प्रतिशत से कम न हों।

2.4.2 संकाय परिवर्तन इच्छित संकाय में प्रवेश की पात्रता पूरी होने पर संभव होगा। ऑनर्स पाठ्यक्रम में प्रविष्ट विद्यार्थी का पास कोर्स में परिवर्तन तभी हो सकेगा जबकि बिन्दु 2.4.1 के साथ परिवर्तन से ऑनर्स कार्स में प्रविष्ट विद्यार्थियों की संख्या 20 से कम न हों।

2.4.3 संकाय / विषय परिवर्तन के लिये अनुमति, केवल विषय संयोजन (Subject combination) में स्थान उपलब्ध होने पर एक बार ही दी जावेगी। रिक्त स्थानों पर वरीयता के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा।

2.4.4 विषय / संकाय परिवर्तन के इच्छुक विद्यार्थियों को निर्धारित समय अवधि (प्रवेश कार्यक्रम में उल्लेखित) में 200 /– रू. शुल्क के साथ आवेदन पत्र जमा कराने होगे।

2.5 समान प्रतिशत होने पर वरीयता क्रम

2.5.1 यदि किसी कक्षा / विषय में बोनस अंक प्राप्त अभ्यर्थी और बोनस रहित अभ्यर्थी दोनों के वरीयता सूची में समान प्रतिशत हों तो उनमें बोनस रहित अभ्यर्थी का क्रम ऊपर होगा।

2.5.2 यदि बिन्दु 2.5.1 में भी समान होने पर कक्षा 12 वीं में अधिक प्राप्तांक प्रतिशत वाले अभ्यर्थी का क्रम ऊपर होगा।

2.5.3 बिन्दु 2.5.2में भी समान होने पर माध्यमिक परीक्षा में अधिक प्राप्तांक प्रतिशत वाले अभ्यर्थी का क्रम ऊपर होगा।

2.5.4. बिन्दु 2.5.3 में भी समान हों, तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।

2.6 कृषि पाठ्यक्रम के प्रथम भाग में प्रवेश

कृषि पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जे.ई.टी.) के आधार पर सम्बन्धित महाविद्यालयों के कृषि संकाय के पार्ट प्रथम में प्रवेश देय होगा।

तृतीय भाग
स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के नियम

3.1 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

तालिका 3.1
प्रवेश हेतु मानदण्ड एवं पात्रता

क्र. सं.	अभ्यर्थियों का प्रकार	पाठ्यक्रम	प्राप्तांक मानदण्ड	पात्रता
(i)	राजस्थान में अवस्थित किसी विश्वविद्यालय से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण	एम.ए. / एम.कॉम.	अर्हकारी परीक्षा* में न्यूनतम 48 प्रतिशत प्राप्तांक अथवा आवेदित विषय में न्यूनतम 55 प्रतिशत प्राप्तांक	समस्त संकायों के अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण
		एम.एससी.	अर्हकारी परीक्षा* अथवा आवेदित विषय में न्यूनतम 55 प्रतिशत प्राप्तांक	विज्ञान संकाय से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण–आवेदित विषय के साथ विज्ञान स्नातक उत्तीर्ण
(ii)	राजस्थान राज्य के बाहर अवस्थित किसी विश्वविद्यालय से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी	सभी संकाय	अर्हकारी परीक्षा* में न्यूनतम 60 प्रतिशत प्राप्तांक	एम.ए. / एम.कॉम. के लिये अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण तथा एम. एससी. के लिये आवेदित विषय के साथ विज्ञान संकाय से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण।

*अर्हकारी परीक्षा से आशय मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 10+2+(3 वर्ष या 3 वर्ष से अधिक की स्नातक परीक्षा से है)।

3.1.1 स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश पात्रता हेतु सम्बद्धक विश्वविद्यालय के नियम लागू होंगे।

3.1.2 स्थान रिक्त रहने की स्थिति में प्रवेश हेतु महिला प्रत्याशियों तथा तालिका 3.1 (ii) के अभ्यर्थियों को न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत में 5 प्रतिशत की छूट दी जा सकेगी।

3.1.3 जन जातीय उपयोजना क्षेत्र में स्थित महाविद्यालयों में न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत में 5 प्रतिशत की छूट दी जा सकेगी।

3.1.4 अनुत्तीर्ण विद्यार्थी को पुनः उसी पाठ्यक्रम में नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश नहीं दिया जायेगा, किन्तु उसे दूसरे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में स्नातक परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर प्रवेश दिया जा सकेगा।

3.1.5 किसी भी अभ्यर्थी को राजकीय महाविद्यालय में अर्हकारी स्नातक परीक्षा उपरान्त स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध में नियमित प्रवेश का अवसर दो बार (दो स्नातकोत्तर विषयों में अथवा एक स्नातकोत्तर विषय एवं विधि स्नातक / स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम) या स्नातकोत्तर डिप्लोमा से अधिक नहीं दिया जायेगा।

3.1.6 त्रिवर्षीय विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश सामान्य / ऑनर्स स्नातक परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर दिया जा सकेगा।

3.1.7 (अ) पूर्वार्द्ध उत्तीर्ण अभ्यर्थियों पर अन्तराल के पश्चात् उत्तरार्द्ध में प्रवेश के संबंध में नियम 2.3.1 में दी गई शर्ते यथावत लागू होंगी।

(ब) पूर्वार्द्ध में प्रवेश के लिए अन्तराल से सम्बन्धित कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।

3.1.8 पूर्वार्द्ध उत्तीर्ण विद्यार्थी द्वारा अगले सत्र में बी.एड. करने के पश्चात् महाविद्यालय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश लेने पर विद्यार्थी को टी.सी. के अभाव में नियमानुसार अस्थाई प्रवेश दिया जावेगा। विद्यार्थी से एक शपथ पत्र लिया जावेगा कि वह गत सत्र में बी.एड का नियमित विद्यार्थी रहा है तथा परीक्षा परिणाम प्राप्त होने पर वह टी.सी. प्रस्तुत कर देगा अन्यथा उसका प्रवेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।

3.2 कक्षा में वर्ग/विषय/पेपर्स में स्थानों की सीमा

3.2.1 विश्वविद्यालय संबद्धता को दृष्टिगत रखकर कला एवं वाणिज्य संकाय के स्नातकोत्तर विषयों में एक वर्ग में अधिकतम 60 एवं न्यूनतम 20 अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जा सकता है।

3.2.2 विज्ञान संकाय के विषयों के वर्ग में आयुक्तालय/संबद्धक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित स्थानों पर प्रवेश दिया जायेगा।

3.2.3 महिला महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर विषयों में एक वर्ग में विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या 10 है।

3.2.4 वाणिज्य संकाय के सभी विषयों, कला संकाय के चित्रकला, अंग्रेजी, हिन्दी, अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान, जैनोलॉजी, संगीत, दर्शन शास्त्र, लोक प्रशासन, मनोविज्ञान, राजस्थानी, संस्कृत, उर्दू, सिन्धी, फारसी, पंजाबी एवं विज्ञान संकाय के भूगर्भ शास्त्र, गणित एवं भौतिक शास्त्र विषयों की स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध कक्षाओं में एवं **PGDCA** में विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या 20 के स्थान पर 10 है।

3.2.5 जनजातीय क्षेत्रों में स्थित महाविद्यालयों को बिन्दु संख्या 3.2.1 से 3.2.4 तक में न्यूनतम संख्या में 25 प्रतिशत तक की छूट प्राप्त होगी।

3.2.6 बिन्दु संख्या 3.2.1 से 3.2.5 तक निर्धारित न्यूनतम सीमा से कम प्रवेश रहने की स्थिति में उस विषय का शिक्षण उस सत्र के लिए स्थगित कर दिया जायेगा।

3.2.7 सभी संकायों के पूर्वार्द्ध/उत्तरार्द्ध में विद्यार्थियों को वैकल्पिक प्रश्न पत्र/शाखा का आवंटन वरीयता क्रम में किया जावेगा। किसी प्रश्न पत्र/शाखा में इच्छुक विद्यार्थियों की संख्या 5 से कम होने पर वह वैकल्पिक प्रश्न पत्र/शाखा का शिक्षण उस सत्र के लिए स्थगित कर दिया जायेगा।

3.2.8 विज्ञान के विषयों में स्नातकोत्तर स्तर पर स्वीकृत स्थानों की संख्या जहाँ 20 से कम है, वहाँ संस्था द्वारा अनुदान प्राप्त करने के लिए शैक्षणिक कार्यभार नहीं बढ़ने की शर्त पर स्थानों की संख्या 20 तक की जा सकती है लेकिन किसी भी वैकल्पिक प्रश्न पत्र/शाखा में विद्यार्थियों की संख्या 5 से कम नहीं होनी चाहिए।

3.3 वरीयता निर्धारण की प्रक्रिया

3.3.1 **समान संकाय में प्रवेश हेतु**

प्रत्येक संकाय में स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश की योग्यता का निर्धारण निम्नांकित आधार पर किया जायेगाः—

(i) **स्नातक स्तर पर आवेदित विषय होने पर**

अभ्यर्थी के द्वारा स्नातक कोर्स के पार्ट प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय के श्रेणी (डिवीजन) निर्धारण हेतु मान्य समस्त विषयों के कुल प्राप्तांकों में आवेदित विषय में उपर्युक्त कक्षाओं के प्राप्तांकों को जोड़ कर कुल प्राप्तांक निकाले जायेंगे तथा दोनों के पूर्णाकों के योग के आधार पर कुल प्राप्तांक प्रतिशत निकाला जायेगा। भले ही ये परीक्षायें भिन्न भिन्न विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण की गई हों।

(ii) **स्नातक स्तर पर आवेदित विषय न होने पर**

सम्बद्धक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पात्रता पूरी करने की स्थिति में अन्य विषय वाले अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 प्रतिशत की कमी करने के बाद शेष प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर प्रवेश वरीयता सूची बनायी जायेगी। दोनों वर्गों की सम्मिलित योग्यता सूची के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा।

(iii) **उक्त दोनों प्रकार के अभ्यर्थियों के लिए**

(अ) जिन विषयों की प्रायोगिक एवं सैद्धान्तिक दोनों प्रकार की परीक्षा होती है, उनमें दोनों का योग स्वीकार्य होगा।

(ब) यदि प्रवेशार्थी को कोई बोनस प्रतिशत देय है तो उसे जोड़कर कुल योग प्रतिशत से वरीयता का निर्धारण किया जायेगा।

3.3.2 **भिन्न संकाय में प्रवेश हेतु**

(i) भिन्न संकाय से परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए पात्रता प्राप्तांक सम्बद्धक विश्वविद्यालय के नियमों/परिनियमों के अनुसार होंगे।

(ii) भिन्न संकाय के पात्र अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 प्रतिशत की कमी करने के बाद शेष प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर समान व भिन्न संकाय के अभ्यर्थियों की सम्मिलित वरीयता सूची के आधार पर प्रवेश देय होगा किन्तु भिन्न संकाय के पात्र अभ्यर्थियों की प्रवेशित सूची में संख्या, प्रत्येक कैटेगरी के लिए निर्धारित स्थानों की अधिकतम 20 प्रतिशत तक ही हो सकती है।

(iii) समान संकाय के अभ्यर्थी कम होने की स्थिति में भिन्न संकाय के पात्र अभ्यर्थी होने पर इनको 20 प्रतिशत से अधिक स्थानों पर प्रवेश आयुक्तालय की अनुमति से देय होगा।

(iv) जिन पाठ्यक्रमों में भिन्न संकाय से स्नातक परीक्षा उत्तीण अभ्यर्थी प्रवेश हेतु पात्र है तथा जिनका परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुआ हो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम 20 प्रतिशत सीटें सुरक्षित रखते हुये समान संकाय के अभ्यर्थियों की प्रवेश सूची जारी की जा सकेगी। तीनों संकायों के स्नातक पार्ट तृतीय के परिणाम आने पर बिन्दु (ii) एवं (iii) के अनुसार अन्तिम प्रवेश सूची जारी की जावेंगी।

3.3.3 **ऑनर्स स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का प्रवेश**

ऑनर्स स्नातक परीक्षा उत्त्तीर्ण अभ्यार्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 प्रतिशत अंकों की वृद्धि कर योग्यता सूची तैयार की जायेगी। यह लाभ उन अभ्यर्थियों को देय नहीं होगा जिन्हें पास कोर्स में उच्च प्रतिशत के कारण ऑनर्स की उपाधि दी गई हो। सहायक (Subsidiary) विषय में प्रवेश लेने पर भी यह लाभ देय नहीं होगा।

3.3.4 यदि किसी अभ्यर्थी के अंक सुधार की परीक्षा के बाद अंकों में वृद्धि होती है तो उसकी योग्यता के निर्धारण के लिए बढ़े हुए अंक ही विचारणीय होंगे।

3.3.5 दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हो तो वरीयता क्रम में

(i) बोनस व बोनस रहित अभ्यथियों में बोनस रहित अभ्यर्थी का क्रम ऊपर होगा।

(ii) आवेदित विषय में अधिक प्राप्तांक वाले अभ्यर्थी का क्रम ऊपर होगा।

(iii) अधिक उम्र वाला अभ्यर्थी ऊपर होगा।

3.4 एक विषय से दूसरे विषय में स्थानान्तरण

यदि किसी अभ्यर्थी का नाम एक से अधिक विषयों की प्रवेश सूची में आ जाता है तो वह इनमें से किसी भी विषय में शुल्क जमा करा कर प्रवेश ले सकता है। यदि उसका नाम बाद में जारी की गयी किसी अन्य विषय की प्रवेश सूची में आता है तो उस विषय में 200.00 रूपये स्थानान्तरण शुल्क जमा करवाकर प्रवेश ले सकेगा और उसके द्वारा पूर्व में जमा कराया गया शुल्क समायोजित हो जायेगा।

पंचम भाग
प्रवेश के सामान्य नियम

5.1 प्रवेश अस्वीकार/निरस्त करने का अधिकार :

प्राचार्य निम्नांकित कारणों से अभ्यर्थी का प्रवेश अस्वीकार/निरस्त कर सकता हैं :–

5.1.1 जिसने अपूर्ण आवेदन पत्र प्रस्तुत किया हो।

5.1.2 जिसने प्रवेश हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र में कोई तथ्य जान बूझकर छिपाया हो अथवा मिथ्या प्रस्तुत किया हो।

5.1.3 जिसने शुल्क जमा कराने की घोषित तिथि तक महाविद्यालय में शुल्क जमा नहीं कराया हो।

5.1.4 जिसका प्रवेश सम्बद्धक विश्वविद्यालय के नियमों के अन्तर्गत स्वीकार्य न हो।

5.1.5 जो पूर्व वर्षों में किसी दुराचार/दुर्व्यवहार का अपराधी रहा हो।

5.1.6. परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग के लिए बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय द्वारा दण्डित किया गया हो।

5.1.7. जिसके विरूद्ध किसी शैक्षणिक अथवा अशैक्षणिक कर्मचारी के साथ परिसर में या परिसर के बाहर हिंसात्मक व्यवहार करने का आपराधिक मामला न्यायालय में विचाराधीन हो।

5.1.8. जो न्यायालय के द्वारा नैतिक कदाचार अथवा किसी प्रकार के अन्य अपराध के कारण दोषी ठहराया गया हो।

5.1.9. जो वर्तमान सत्र में प्रवेश के समय अथवा उसके बाद किसी शैक्षणिक/अशैक्षणिक कर्मचारी के साथ दुराचार/दुर्व्यवहार अथवा गाली–गलौच करने का दोषी पाया गया हो।

5.1.10. यदि विद्यार्थी रैगिंग गतिविधि में लिप्त पाया जाता है।

नोट :- अभ्यर्थी के दस्तावेजों में शंका होने पर प्राचार्य विधि-सम्मत कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगें।

5.2 राजस्थान का निवासी वह है :-

5.2.1 जो राजस्थान में जन्मा हो (जन्म प्रमाण–पत्र के आधार पर)।

5.2.2 जिसके माता/पिता पिछले पाँच वर्ष से राजस्थान में निरन्तर निवास कर रहे हों। (इस कोटि के आवेदक को इस हेतु, सम्बन्धित जिले के कलेक्टर/एस.डी.ओ./सहायक कलेक्टर अथवा तहसीलदार का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

5.2.3 जो राजस्थान सरकार अथवा राजस्थान सरकार के किसी उपक्रम अथवा राजस्थान सरकार के किसी अर्द्ध सरकारी संगठन के कर्मचारी का पुत्र/पुत्री हो।

5.2.4 जो केन्द्रीय सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार के किसी उपक्रम अथवा केन्द्रीय सरकार के किसी अर्द्ध सरकारी संगठन के राजस्थान में पदस्थापित कर्मचारी का पुत्र/पुत्री हो।

5.2.5 जो सेना (तीनों अंग) में या केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल के राजस्थान में पदस्थापित कर्मचारी का पुत्र/पुत्री हो अथवा यदि किसी सैनिक व अधिकारी की नियुक्ति कुटुम्ब विहीन स्थान पर होती है तथा उसके कुटुम्ब को राजस्थान में आवास दिया जाता है तो ऐसे सैनिक/अधिकारी का पुत्र/पुत्री हो।

5.2.6 जो सेना (तीनों अंग) या केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल में कार्यरत एवं राजस्थान के मूल निवासी का पुत्र/पुत्री हो (इस कोटि के आवेदक को इस हेतु सम्बन्धित जिले के कलेक्टर/एस.डी.ओ/सहायक कलेक्टर/तहसीलदार का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।)

5.2.7 ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो राजस्थान के निवासी से विवाह होने के पश्चात् राजस्थान में रह रही है। (शपथ पत्र/विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर)

5.3 स्नातक (पार्ट द्वितीय व तृतीय)/स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध स्तर पर एकीकृत प्रवेश प्रक्रिया

5.3.1 विधि संकाय सहित समस्त स्नातक एवं स्नातकोत्तर के पाठ्यक्रमों में एकीकृत प्रवेश प्रक्रिया लागू है। स्नातक पार्ट द्वितीय/तृतीय व स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध में नियमित विद्यार्थियों को नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। इसके तहत अभ्यर्थी को सम्बन्धित पाठ्यक्रम की प्रथम कक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन करना होता है। यदि गत सत्र का नियमित विद्यार्थी वर्तमान सत्र में निर्धारित तिथि तक सत्र का शुल्क महाविद्यालय में जमा करवा देता है, तो पात्रता शर्तों की पूर्ति होने की स्थिति में वह प्रवेशित माना जावेगा। यह नियम महाविद्यालय के पूर्व छात्र (एक्स स्टूडेन्ट) पर भी लागू होगा। यह नियम निम्नलिखित स्थितियों में उन विद्यार्थियों पर लागू नहीं होगा जो :–

(i) निर्धारित तिथि तक वर्तमान सत्र का शुल्क जमा नहीं करवाते।
(ii) पूर्व कक्षा की परीक्षा में अनुत्तीण घोषित होते है।
(iii) स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जारी करवा चुके हो।
(iv) स्वयं लिखित में प्रवेश लेने से स्पष्ट इन्कार कर दें।
(v) प्रवेश नीति के पंचम भाग के बिन्दु 5.1 में उल्लेखित शर्तें पूर्ण नहीं करते हों।
(vi) उपस्थिति की न्यूनता के कारण नियमित से स्वयंपाठी घोषित हुए हों।

5.3.2 सभी प्रवेश योग्य विद्यार्थियों को वर्तमान सत्र में महाविद्यालय कार्य दिवसों में वांछित फीस का ड्राफ्ट अथवा फीस राशि सम्बन्धित महाविद्यालय के कार्यालय / महाविद्यालय की विकास समिति कोष में जमा करवानी होगी। अर्हकारी परीक्षा में अनुत्तीर्ण ऐसे छात्र, जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा अगली कक्षा में प्रवेश योग्य घोषित नहीं किया जाता, उनका अस्थाई प्रवेश स्वतः ही निरस्त हो जाएगा तथा उनके द्वारा जमा कराई गई राशि आवेदन करने पर वापिस लौटा दी जाएगी।

5.3.3 यदि विद्यार्थी शुल्क में रियायत प्राप्त करना चाहता है तो उसे शुल्क जमा करवाते समय तत्संबंधी (आय / नॉन क्रीमिलेयर प्रमाण पत्र आदि) अद्यतन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होगें। प्रमाण पत्र / पत्रों के अभाव में पूर्ण शुल्क जमा किया जायेगा एवं इसके उपरान्त यदि बाद में रियायत संबंधी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो रियायत पर विचार नहीं किया जायेगा।

5.3.4 स्नातक पार्ट द्वितीय व तृतीय में स्वयंपाठी / अन्तराल के उपरान्त / स्थानान्तरण के कारण महाविद्यालय के नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों को प्रवेश आवेदन पत्र (CAF – कॉमन एडमिशन फॉर्म) वांछित दस्तावेज सहित प्रस्तुत करना होगा। इन आवेदन पत्रों पर प्राचार्य नियमानुसार विचार कर निर्णय लेने हेतु अधिकृत होंगे।

5.4 अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रवेश

5.4.1 अनुत्तीर्ण नियमित / स्वयंपाठी विद्यार्थी को उसी संकाय अथवा भिन्न संकाय की उसी कक्षा में प्रवेश देय नहीं है।

5.4.2 नियमित प्रविष्ट विद्यार्थी निम्न स्थितियों में उसी संकाय अथवा भिन्न संकाय की उसी कक्षा में प्रवेश का पात्र नहीं होगा –

(i) परीक्षा फार्म नहीं भरने के कारण परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुआ हो।
(ii) विश्वविद्यालय परीक्षा में प्रविष्ट नहीं हुआ को।
(iii) उपस्थिति की न्यूनता के कारण नियमित विद्यार्थी के रूप में परीक्षा देने से वंचित किया गया हो।
(iv) विश्वविद्यालय परीक्षा में अनुत्तीण घोषित किया गया हो।

5.4.3 यदि विद्यार्थी ने पिछले सत्र में महाविद्यालय के नियमित विद्यार्थी के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता / राष्ट्रीय प्रतियोगिता / अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लिया हो या अन्तर महाविद्यालय प्रतियोगिता में विजेता / उपविजेता टीम का सदस्य या एकल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त किया हो तो नियम 5.4.2 लागू नहीं होगा तथा उसको उसी कक्षा में एक बार पुनः प्रवेश / नवीनीकरण किया जा सकेगा। यदि ऐसे विद्यार्थी ने अगली कक्षा में बिना परीक्षा परिणाम घोषित हुए शुल्क जमा करवा दिया हो तो परीक्षा परिणाम घोषित होने पर उसके शुल्क का समायोजन किया जा सकेगा।

5.5 परीक्षा परिणाम में पूरक घोषित अभ्यर्थियों का प्रवेश

5.5.1 ऐसे अभ्यर्थी अग्रिम कक्षा में निर्धारित तिथि तक अन्तरिम प्रवेश ले सकेंगे। यदि उन्होंने प्रवेश की अंतिम तिथि तक प्रवेश नहीं लिया है तो उन्हें पूरक परीक्षा के परिणाम में उत्तीर्ण घोषित होने के बाद नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा।

5.5.2 पूरक परीक्षा योग्य घोषित अभ्यर्थियों को पूरक परीक्षा के विषयों को छोड़कर अन्य विषयों की स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध में पात्रता के अनुसार अन्तरिम प्रवेश दिया जा सकेगा।

5.5.3 अर्हकारी परीक्षा में पूरक परीक्षा के योग्य घोषित अभ्यर्थी की पात्रता एवं वरीयता निर्धारण के लिये पूरक परीक्षा के विषय / पेपर में अभ्यर्थी के प्राप्तांकों के स्थान पर न्यूनतम उत्तीर्णांक जोड़े जायेंगे।

5.5.4 पूरक परीक्षा के परिणाम में अनुत्तीर्ण घोषित किये जाने पर नियमित विद्यार्थी के रूप में अन्तरिम प्रवेश स्वतः निरस्त माना जायेगा तथा उसे कोई शुल्क नहीं लौटाया जायेगा।

5.6 पुनर्मूल्यांकन या विश्वविद्यालय परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश

इन परिस्थियों में परीक्षा परिणाम में उत्तीर्ण घोषित होने पर विद्यार्थी को सम्बद्धक विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारित तिथि या उसमें प्रदान की गई शिथिलता के आधार पर महाविद्यालय में प्राचार्य के स्तर पर प्रवेश दिया जा सकेगा। ऐसे विद्यार्थियों ने परीक्षा परिणाम घोषित होने से पहले यदि उस सत्र का शुल्क महाविद्यालय में जमा करवा दिया हो तथा इसे वापिस नहीं लिया हो तो पुनर्मूल्यांकन के परिणाम में उत्तीर्ण घोषित होने पर वह कक्षा में प्रवेशित माना जायेगा।

5.7 **स्नातक स्तर की पार्ट द्वितीय (सेमेस्टर-III) कक्षाओं में स्वयंपाठी अभ्यर्थियों की प्रवेश पात्रता**

तालिका 5.7

प्रवेश कक्षा	आवेदक की पात्रता	प्रवेश हेतु न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत
स्नातक पार्ट द्वितीय व तृतीय	स्वयंपाठी अभ्यर्थी के रूप में अर्हकारी परीक्षा अनिवार्य विषयों सहित सभी विषयों में उत्तीर्ण।	अर्हकारी परीक्षा में 50 प्रतिशत प्राप्तांक

5.7.1 आरक्षित वर्ग के अभ्यार्थियों पर नियम 6.1 की शर्ते लागू होगी।

5.7.2 पार्ट प्रथम एवं द्वितीय की परीक्षा स्वयंपाठी के रूप में उत्तीर्ण अभ्यर्थी को पार्ट तृतीय में प्रवेश देय नहीं है। पार्ट प्रथम में नियमित एवं पार्ट द्वितीय में स्वयंपाठी रहे अभ्यर्थी को पार्ट तृतीय में तालिका 5.7 में उल्लेखित पात्रता शर्तें पूरी करने पर पार्ट प्रथम नियमित विद्यार्थी के रूप में उत्तीर्ण करने वाले महाविद्यालय में प्रवेश देय होगा।

5.7.3 महिला महाविद्यालयों में प्रवेश की इच्छुक महिला अभ्यर्थियों पर न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक होने की अनिवार्यता लागू नहीं होगी तथा स्थान रिक्त होने पर उन्हें उत्तीर्णाक तक प्रवेश दिया जा सकेगा।

5.7.4 स्वयंपाठी विद्यार्थियों के प्रवेश पर केवल उसी स्थित में विचार किया जा सकेगा जबकि –

(i) उस कक्षा के नियमित विद्यार्थियों को प्रवेश देने के उपरान्त स्थान रिक्त हो तथा वैकल्पिक विषय समूह महाविद्यालय में उपलब्ध हो।

(ii) महाविद्यालय में शिक्षण के लिए भौतिक एवं मानव संसाधन उपलब्ध हो।

5.7.5 स्वयंपाठी विद्यार्थी के रूप में स्नातकोत्तर पूर्वाद्ध परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी को उत्तराद्ध में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

5.8 स्थानान्तरण के आधार पर प्रवेश

5.8.1 एक महाविद्यालय में प्रविष्ट विद्यार्थी का उसी नगर के दूसरे महाविद्यालय में स्थानान्तरण नहीं होगा।

5.8.2 भिन्न–भिन्न स्थानों पर अवस्थित महाविद्यालयों में भी स्थानान्तरण की अनुमति माता–पिता/संरक्षक के स्थानान्तरण या महिला अभ्यर्थी के विवाह होने जैसी विशेष परिस्थिति में ही दी जायेगी। माता–पिता के जीवित रहते अन्य कोई व्यक्ति संरक्षक नहीं हो सकेगा।

5.8.3 स्थानान्तरित कर्मचारी के पुत्र/पुत्री स्थानान्तरण स्थान व निकटवर्ती स्थान या गृह स्थान पर अवस्थित महाविद्यालय में प्रवेश के पात्र होंगे।

5.8.4 संरक्षक के स्थानान्तरण की स्थिति में अभ्यर्थी का प्रवेश तभी देय होगा जब आवेदक के प्राप्तांक उस कक्षा में प्रविष्ट अंतिम विद्यार्थी के अंकों से कम नहीं हों तथा उस महाविद्यालय में रिक्त स्थान उपलब्ध हो।

5.8.5 स्नातक पार्ट द्वितीय व तृतीय कक्षाओं में स्थानान्तरण प्रवेश पर सम्बद्धक विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार ही विचार किया जायेगा।

5.9 स्थान (सीटें) रिक्त रहने की स्थिति में प्रवेश प्रक्रिया संबंधी निर्देश

समस्त योग्य अभ्यर्थियों के प्रविष्ट हो जाने तथा कोई भी विचाराधीन आवेदन पत्र लम्बित ना होने की स्थिति में किसी कक्षा में स्थान रिक्त रहने पर प्राचार्य, सामान्य श्रेणी सहित श्रेणीवार (कैटेगरीवाईज) रिक्त स्थानों की सूचना का विस्तृत प्रचार–प्रसार कर सात दिवस तक नवीन आवेदन पत्र आमंत्रित कर सकेगें तथा रिक्त स्थानों को भरने की प्रक्रिया अपनायेगे।

5.10 **मूल प्रमाण पत्र वापस लेने हेतु निर्देश**

प्रवेश प्रक्रिया के दौरान यदि कोई प्रवेशित अभ्यर्थी मूल प्रमाण–पत्र वापस लेने के लिए आवेदन करता है, तो उसके मूल प्रमाण–पत्र लौटा कर प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा तथा प्रक्रिया शुल्क यदि कोई हो तो जमा रखते हुए शेष शुल्क लौटाया जावे। ऐसे रिक्त स्थानों पर वरीयता अनुसार अन्य अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जा सकेगा।

5.11 अन्य संस्था के पाठ्यक्रम में प्रवेश पश्चात महाविद्यालय में पुनः प्रवेश

किसी भी कक्षा में प्रवेश लेने के पश्चात यदि विद्यार्थी अन्य संस्था के पाठ्यक्रम में प्रवेश होने के बाद टी.सी. लेकर महाविद्यालय छोड़कर चला जाता है तथा कतिपय कारणवश यदि वह पुनः उसी सत्र में उसी कक्षा में प्रवेश लेना चाहता है तो रिक्त स्थान होने की स्थिति में उसे प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने की निर्धारित तिथि के 45 दिनों की अवधि में प्रवेश दिया जा सकेगा।

5.12 सम्बद्धक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों की पालना सुनिश्चित की जावेगी।

5.13 आवेदित कक्षा की अन्तरिम प्रवेश सूची में स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित तिथि तक मूल प्रमाण–पत्रों की जांच एवं प्रवेश शुल्क जमा नहीं कराने वाले अभ्यर्थियों (डीफाल्टर्स) को किसी भी स्थिति में प्रवेश देय नहीं होगा।

5.14 कक्षा में उत्तीर्ण घोषित किये जाने के बाद विद्यार्थी को पुनः उसी कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

5.15 किसी कारणवश बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा जारी मूल अंकतालिका प्राप्त नहीं होने की स्थित में अभ्यर्थी इन्टरनेट की अंकतालिका से आवेदन कर सकेगा। मूल प्रमाण–पत्रों के भौतिक सत्यापन के समय मूल अंकतालिका प्राप्त नहीं होने की स्थिति में इन्टरनेट की स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति प्रस्तुत कर अभ्यर्थी द्वारा इस आशय का शपथ पत्र सादा कागज पर प्रस्तुत करना होगा कि वह 15 दिवस में मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन करवा कर मूल टी.सी./सी.सी. जमा करवायेगा। पहले प्रस्तुत अंकतालिका एवं मूल अंकतालिका में विसंगति पाये जाने पर अभ्यर्थी के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी एवं उसका प्रवेश निरस्त माना जायेगा।

5.16 जिन पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु ऑफ लाइन प्रवेश प्रक्रिया अनुमत है वहाँ विभागीय वेबपोर्टल से कॉमन एडमिशन फार्म डाउनलोड कर अभ्यर्थी संबंधित महाविद्यालय में प्रस्तुत कर सकता है।

5.17 भारतीय नागरिकता प्राप्त करने एवं भारत में स्थाईवास (LTV) चाहने के आधार पर राज्य में रह रहे पाक नागरिकों के बच्चों को शिक्षा हेतु प्रवेश के लिये आवेदन करने पर विदेशी नागरिकों हेतु निर्धारित शर्तों/पात्रताओं के अनुसार ही प्रवेश की अनुमति है। इस हेतु राज्य सरकार की पृथक से अनुमति की आवश्यकता नहीं होंगी। ऐसे प्रवेशों की सूचना शिक्षण संस्थाओं द्वारा संबंधित विदेशी पंजीकरण अधिकारी (DCP/FRO/FRRO) को दी जावेगी।

5.18 प्रवेश नीति के नियमों में किसी प्रकार का मार्गदर्शन उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में सम्बद्धक विश्वविद्यालय के नियम/परिनियम/ऑर्डिनेन्स मान्य होंगे। प्रवेश देते समय शैक्षणिक सत्र सारणी में दिये गये निर्देशों की पूर्ण पालना की जाये। उपर्युक्त नियमों की क्रियान्विति में यदि किसी प्रकार की कठिनाई अनुभव हो अथवा नियमों की व्याख्या में अस्पष्टता या भ्रम की स्थिति होने पर आयुक्तालय/निदेशालय से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाये। नियमों के संबंध में आयुक्त/निदेशक, कॉलेज शिक्षा का निर्णय ही अन्तिम एवं मान्य होगा।

5.19 पाकिस्तान में स्थित किसी भी शैक्षणिक संस्थान से प्राप्त डिग्री/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट के आधार पर भारतीय नागरिक/भारतीय मूल के विदेशों में रहने वाले नागरिक उच्च शिक्षा हेतु प्रवेश के पात्र नहीं होंगे, किन्तु बिन्दु संख्या 5.17 में उल्लेखित छात्र प्रवेश के पात्र होंगे (यू.जी.सी. के परिपत्र दिनांक 22.04.2022)।

5.20 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) के पूर्व अनुमोदन के बिना चीनी जनवादी गणराज्य (पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना) से ऑनलाईन माध्यम से संचालित किये गये पाठ्यक्रमों को आयोग एवं परिषद मान्यता नहीं देते है। ऑनलाईन माध्यम से प्राप्त की गयी डिग्री के आधार पर वे प्रवेश के पात्र नहीं होंगे (यूजीसी के परिपत्र दिनांक 25.03.2022)।

5.20 सह-शैक्षणिक गतिविधियाँ

- प्रथम वर्ष (सेमेस्टर–I) में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों से प्रवेश आवेदन पत्र में स्पष्टतः यह अंकित कराना होगा कि सत्र के दौरान एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट, रोवर–रेंजर/खेल/वाई.डी.सी./महिला प्रकोष्ठ/मानवाधिकार प्रकोष्ठ/कला एवं संस्कृति/नशा मुक्ति प्रकोष्ठ आदि सह शैक्षणिक एवं सामाजिक विस्तार गतिविधियों में से किन–किन गतिविधियों में वह भाग लेना चाहते है।

- प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होते ही महाविद्यालयों में उपरोक्त गतिविधियों को संचालित करने वाली समितियों/संकाय सदस्य/अन्य कोई एजेन्सी परामर्श (Counselling) के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाकर उनकी वर्ष पर्यन्त संचालित होने वाली गतिविधियों में सहभागिता सुनिश्चित की जावेगी।
- परामर्श के समय संबंधित महाविद्यालय यह सुनिश्चित करें कि इन गतिविधियों के दिशा–निर्देशों के अनुसार ही विद्यार्थी को विकल्प उपलब्ध करवाये जावे।
- गतिविधि वार विद्यार्थियों की सूची आयुक्तालय के संबंधित समन्वयक को प्रवेश समाप्ति के 15 दिवस उपरान्त उपलब्ध करायी जावे।
- विद्यार्थी एक से अधिक गतिविधि में भाग ले सकता है।
- प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को कोई न कोई गतिविधि आवंटित करना अनिवार्य होगा।
- स्नातक पार्ट द्वितीय/तृतीय एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थी यथासंभव उपर्युक्त गतिविधियों में भाग लेंगे। जो विद्यार्थी पूर्व में ही इन गतिविधियों से जुड़े हुये है, उनकी निरन्तरता सुनिश्चित की जावेगी। इस संबंध में समय–समय पर विभागीय वेबसाईट www.hte.rajasthan.gov.in पर जारी निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित की जावे।

गतिविधि का नाम	कार्यक्रम सारिणी
1. एन.सी.सी	एन.सी.सी. मुख्यालय द्वारा जारी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार
2. एन.एस.एस.	एन.एस.एस. मुख्यालय द्वारा जारी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार
3. रोवर–रेंजर	स्काउट एवं गाईड मुख्यालय द्वारा जारी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार
4. खेल/वाई.डी.सी./महिला प्रकोष्ठ/उपभोक्ता क्लब/मानवाधिकार प्रकोष्ठ/कला एवं संस्कृति/नशा मुक्ति प्रकोष्ठ आदि गतिविधियां	संबंधित विश्वविद्यालय/आयुक्तालय/निदेशालय द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार

विशेष निर्देश :–

1. राज्य अधिसूचना क्रमांक प.12(22) वित्त/कर/10–98 दिनांक 9–3–10 तथा कार्यालय, महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर के पत्र क्रमांक एफ 7(39) जन/10/5099–5132 दिनांक 10–4–10 के अनुसार जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र अभिप्राप्त करने के प्रायोजन के लिए निष्पादित या शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश या शैक्षणिक छात्रवृत्ति की मंजूरी के लिए अपेक्षित शपथ पत्रों पर संदेय स्टाम्प शुल्क का परिहार (माफ) किया गया है। इसकी पालना सुनिश्चित की जावें।
2. राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ.15(1)एआर/ग्रुप–1/2014 दिनांक 24.11.2014 के द्वारा 01 जनवरी 2015 से शपथ पत्र एवं दस्तावेज अभ्यर्थी के द्वारा स्वप्रमाणित मान्य होंगे।

उपस्थिति सम्बन्धी नियम

विश्वविद्यालय परीक्षा में बैठने हेतु प्रत्येक छात्र की हर विषय में न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति होना अनिवार्य है। राज्य सरकार तथा कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय द्वारा उपस्थिति के संबंध में कठोरता से पालन करने का निर्देश दिया गया है। कुल व्याख्यानों की संख्या सत्र के प्रारम्भ से ही गिनी जाएगी, चाहे छात्र ने सत्र के किसी भी दिन प्रवेश लिया हो।

संकाय अथवा विषय परिवर्तन करने वाले छात्र इस संदर्भ में सतर्क रहें। प्रत्येक छात्र का दायित्व है कि वह हर माह के अन्त में संबंधित प्राध्यापक से अपनी उपस्थिति ज्ञात कर लें। उपस्थिति कम होने की दशा में उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने से वंचित कर दिया जायेगा अथवा स्वयंपाठी घोषित कर दिया जायेगा।

प्रत्येक सत्रांश के अंत में अर्थात् दशहरा, दीपावली अवकाश, शीतकालीन अवकाश तथा वार्षिक परीक्षा से पूर्व जिन छात्रों की उपस्थिति वांछित उपस्थिति से कम होगी, उनकी सूचना, सूचना पट्ट पर लगा दी जाएगी।

विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित होने सम्बन्धी नियम

1) सभी संकायों की सभी वार्षिक परीक्षाएँ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित होंगी।

(2) विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए छात्र को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी :–

- (क) जिस परीक्षा में छात्र सम्मिलित हो रहा है, उसके लिये उसने विश्वविद्यालय द्वारा निर्दिष्ट आवश्यक योग्यता पूरी कर ली है।
- (ख) वह विश्वविद्यालय में नामांकित हो गया है।
- (ग) उसकी उपस्थितियाँ विश्वविद्यालय के नियमानुसार पूरी हैं।
- (घ) छात्र ने महाविद्यालय के प्रति सभी प्रकार की देयता का भुगतान करके बकाया मुक्ति प्रमाण पत्र ले लिया है। छात्र का प्रवेश विश्वविद्यालय के नियमों के अनुकूल हो।

पुस्तकालय एवं वाचानालय के नियम

महाविद्यालय का पुस्तकालय एवं वाचनालय ''महाविद्यालय की आत्मा है'' । यह एक विशाल एवं सुन्दर प्रशाल में स्थित है। पुस्तकालय में विभिन्न विषयों की पुस्तकों का उत्कृष्ट संग्रह है और प्रतिवर्ष नियमित रूप से नई पुस्तकें भी खरीदी जाती हैं। फलतः पुस्तकालय समृद्ध होता जा रहा है। इसमें 19000 से अधिक पठनीय पुस्तकें है।

प्रत्येक छात्र से अपेक्षा की जाती है कि वह पुस्तकालय एवं वाचनालय का पूर्ण सदुपयोग करे एवं अपना समय इधर–उधर व्यर्थ नष्ट न करे।

(क) छात्रों के लिए पुस्तकालय सम्बन्धी नियम

(1) पुस्तकालय प्रातः 8.00 बजे से सायं 3.00 बजे तक खुला रहेगा।

(2) प्रत्येक छात्र को प्रवेश पत्र एवं परिचय पत्र दिखाने पर पुस्तकालय से दो कार्ड मिलेंगे, जिन्हें पुस्तक निकलवाते समय पुस्तकालय में प्रस्तुत करना होगा। पुस्तक जितने दिन छात्र के पास रहेगी, कार्ड पुस्तकालय में रखा रहेगा और पुस्तक लौटाने पर कार्ड छात्र को लौटा दिया जायेगा।

(3) एक छात्र एक बार में केवल दो पुस्तकें ही ले सकेगा।

(4) एक छात्र एक बार में किसी पुस्तक को अधिकतम 15 दिन तक रख सकता है।यदि पुस्तक अन्तिम तारीख तक नहीं लौटाई गई तो 2 रूपया प्रतिदिन (अवकाश के दिनों सहित) विलम्ब शुल्क देना होगा।

(5) पुस्तक एक बार देने के पश्चात् दूसरी बार ठीक आगामी अवधि के लिए तब ही दी जायेगी जबकि अन्य विद्यार्थी ने उक्त पुस्तक की मांग न की हो। यह अवधि 7 दिन से अधिक नहीं होगी और इसके समाप्त होने के पश्चात् तीसरी बार पुस्तक नहीं दी जायेगी।

(6) पुस्तकालय की संदर्भ पुस्तकें किसी भी छात्र को घर के लिए नहीं दी जायेंगी।

(7) पुस्तकालय से पुस्तक लेते समय छात्र देख ले कि पुस्तक में पृष्ठ सही हैं। यदि पुस्तक की वापसी के समय पृष्ठ कम पाये गये तो इसका उत्तरदायित्व स्वयं उस छात्र का ही होगा। पुस्तक से पृष्ठ फाड़ना पुस्तक को मृत्यु प्रदान करना है। यह एक जघन्य अपराध है। दोषी छात्र को पुस्तक का पूरा दुगुना मूल्य अदा करना होगा तथा इसके अतिरिक्त उसे 100 / – रू. के दण्ड से दण्डित भी किया जा सकता है। पुस्तक खोने पर पुस्तक की दुगनी कीमत वसूल की जावेगी।

(8) यदि पुस्तकालय कार्ड खो जाये तो पुस्तकालयाध्यक्ष के पास निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करने व साथ में 100 रू. जमा कराने पर नया कार्ड दिया जा सकता है।

(9) पुस्तकालय कार्ड पूर्णतः अहस्तांतरणीय होगा।

(10) सत्र के समाप्त होने से पूर्व प्रत्येक छात्र को सभी पुस्तकें, पुस्तकालय कार्ड पुस्तकालयाध्यक्ष को लौटाकर बकाया मुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा, जिसके बिना उसको परीक्षा प्रवेश पत्र नहीं मिलेगा।

(11) पुस्तकालय व वाचनालय संबंधी कोई भी कठिनाई होने पर छात्र पुस्तकालयाध्यक्ष से सम्पर्क करें।

(ख) वाचनालय सम्बन्धी नियम

(1) वाचनालय कक्ष में छात्रों द्वारा बात करना, शांति भंग करना या अन्य पाठकों के अध्ययन में विघ्न डालना वर्जित है। जो छात्र ऐसा करते पाये जायेंगे उनके प्रति कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

(2) छात्रों को पत्र–पत्रिकाएँ घर के लिए नहीं दी जायेंगी।

(3) यदि छात्र पुस्तकालय या वाचनालय की किसी सम्पत्ति, पुस्तक व पत्र–पत्रिका को किसी प्रकार से क्षति पहुँचाता पाया जाएगा तो उसे सख्त दण्ड दिया जाएगा। ऐसे अपराधी को उस वस्तु की, जिसे उसने क्षतिग्रस्त किया है दुगनी कीमत देनी होगी तथा अपराध की गम्भीरता के अनुसार प्राचार्य उसे अन्य दण्ड भी दे सकते है।

सामान्य नियम

(1) किसी भी छात्र को अकारण कक्षा से अनुपस्थित रहने पर उसके अभिभावकों को सूचित किया जायेगा।

(2) छात्रों को महाविद्यालय में अपनी साइकिलें, स्कूटर आदि नियत स्थान पर ही स्वयं की जिम्मेदारी पर रखने होंगे।

(3) यदि किसी छात्र का व्यवहार महाविद्यालय के प्रांगण में या बाहर कहीं भी ऐसा हो, जिससे महाविद्यालय की गरिमा को क्षति पहुँचे तो प्राचार्य को इस बात का पूर्ण अधिकार होगा कि वह उस छात्र को उचित दण्ड दे सकें/निलम्बित कर सकें/निष्कासित कर सकें।

(4) छात्रों द्वारा धूम्रपान व नशीले पदार्थों का सेवन पूर्णतः वर्जित है। महाविद्यालय प्रागंण में यदि कोई छात्र ऐसा करता पाया गया तो उसे महाविद्यालय से निष्कासित किया जा सकता है एवं एफ.आई.आर. भी लिखाई जा सकती है। जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं छात्र का होगा।

(5) छात्रों को हर वर्ष वार्षिक परीक्षा में बैठने से पूर्व, सभी प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय, खेलकूद, लेखाशाखा आदि से 'अदेय प्रमाण पत्र' प्राप्त करना होगा अन्यथा प्राचार्य उन्हें परीक्षा में बैठने से रोक सकते हैं।

(6) छात्रों को प्रतिदिन महाविद्यालय के सूचना पट्ट को अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि कार्यालय ऐसे किसी बहाने को मान्यता नहीं देगा कि छात्र ने सूचना पट्ट नहीं देखा था अथवा छात्र को किसी आदेश या सूचना की जानकारी नहीं थी या बीमारी के कारण लम्बे समय तक महाविद्यालय में नहीं आ पाया था।

(7) महाविद्यालय के सभी नियमित छात्रों को प्रतिवर्ष एक परिचय पत्र प्रवेश पत्र के साथ ही दिया जायेगा। परिचय पत्र अहस्तांतरणीय है। उसका दुरूपयोग न हो, इसलिए परिचय पत्र सत्र में एक बार ही दिया जायेगा। विशेष परिस्थिति में 100/– रू. शुल्क जमा कराने तथा शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर ही नया परिचय पत्र दिया जा सकेगा। यह सुविधा भी सत्र में केवल एक बार ही दी जायेगी।

(8) छात्रों को प्राध्यापक वर्ग के प्रति उचित सम्मान तथा महाविद्यालय के समस्त कर्मचारियों के प्रति सद्व्यवहार रखना चाहिए। हर रोज प्रथम बार दिखने पर अभिवादन अवश्य करे।

(9) महाविद्यालय के नियमित छात्रों को महाविद्यालय के प्रमाण पत्र पर रेल्वे या बस द्वारा रियायती टिकट दिये जाते हैं। रेल्वे या बस कन्सेशन दोनों ही केवल स्थायी पते के लिए मिलते हैं। रेल्वे कन्सेशन व बस कन्सेशन दशहरा, दीपावली, शीतकालीन तथा ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए ही दिया जा सकता है। रेल्वे कन्सेशन के लिए निर्धारित शुल्क 5/– रू. जमा कराना होगा। अतः प्रत्येक छात्र को जो इस प्रकार की सुविधा प्राप्त करने का इच्छुक है, प्रवेश आवेदन पत्र में अपने स्थायी निवास स्थान का नाम ठीक लिखना चाहिये। आवेदन पत्र में लिखे स्थायी निवास स्थान में सामान्यतया कोई परिवर्तन नहीं हो सकेगा। यात्रा करते समय प्रत्येक छात्र को अपने साथ महाविद्यालय का परिचय पत्र रखना चाहिये। रेल्वे या बस कन्सेशनके लिए एक निश्चित आवेदन पत्र लगभग एक सप्ताह पूर्व भरना होगा।

(10) चरित्र प्रमाण पत्र वर्ष में अधिक से अधिक दो बार दिया जा सकता है। एक प्रमाणपत्र का शुल्क 100/– रू. होगा। कोई भी छात्र महाविद्यालय से मुद्रित चरित्र प्रमाणपत्र के अतिरिक्त अन्य रूप से प्रमाणपत्र चाहता है तो वह आवेदन करने व 100/– रू. का शुल्क जमा कराने पर ही दिया जा सकेगा।

(11) प्रवेश उपरान्त प्रत्येक छात्र महाविद्यालय का अभिन्न अंग बन जाता है। अतः उसे महाविद्यालय के गौरव को बढ़ाने में सतत् प्रयत्नशील रहना चाहिए तथा ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे महाविद्यालय की गरिमा को ठेस पहुंचे।

(12) इन नियमों में परिवर्तन एवं परिवर्द्धन करने का प्राचार्य को पूर्ण अधिकार है।

(13) प्राचार्य द्वारा इन नियमों की व्याख्या एवं छात्रों से संबंधित शैक्षणिक निर्णय अन्तिम होंगे।

(14) **प्रवेश शुल्क या अन्य शुल्क एक बार जमा होने के बाद किसी भी परिस्थिति में लौटाया नहीं जावेगा/समायोजित नहीं होगा।**

(15) एन.सी.सी./रोवर–स्काउटिंग/राष्ट्रीय सेवा योजना/खेलकूद के शिविरों/प्रवृत्तियों एवम् प्रमाण पत्रों की परीक्षाओं तथा उनके परिणाम हेतु प्रत्येक छात्र को सदैव सर्तक रहना वांछित है।

(16) रैगिंग एक जघन्य उपराध है उस पर कानूनी कार्यवाही करना महाविद्यालय का उत्तरदायित्व है। अतः कोई भी छात्र रैगिंग की दुष्प्रवृत्ति के समीप भी नहीं जावे। राष्ट्रीय/राज्य/उच्च न्यायालय स्तर पर इसे कानूनी अपराध घोषित किया हुआ है।

(17) महाविद्यालय में मोबाइल लाना कानूनी अपराध है। महाविद्यालय परिसर में मोबाइल लाने पर 100/– दण्ड देय होगा/मोबाईल जब्त होगा।

(18) नवीन कानून के अनुसार महाविद्यालय या उसके आसपास धुम्रपान करना धुम्रपान के लिए प्रोत्साहित करना तम्बाकू का सेवन करना कानूनी अपराध है।

(19) छात्रों को महाविद्यालय परिसर में नारे लगाने प्रशाासन के विरूद्ध मिटिंग करने पर पुलिस कार्यवाही अपेक्षित है।

(20) कॉलेज कार्य में बाधा पहुंचाना कानूनी अपराध है।

महाविद्यालय/शिक्षा समिति द्वारा सहायता

1. प्रत्येक छात्र/छात्रा का सामुहिक जीवन सुरक्षा बीमा कराया जायेगा जिसका प्रिमियम संस्था द्वारा वहन किया जायेगा। छात्र के दुर्घटनाग्रस्त होने पर बीमा कम्पनी से सहायता प्राप्त होती है।
2. कम्प्यूटर शिक्षा–कम्प्यूटर शिक्षण के लिए अलग से कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा इसका समस्त खर्चा संस्था द्वारा वहन किया जायेगा।
3. **छात्रवृत्ति :** प्रतिभावान छात्रों को संस्था द्वारा हर वर्ष की भांति 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने पर छात्रवृत्ति दी जायेगी। इसी प्रकार खेल प्रतिभाओं के लिए भी छात्रवृत्ति दी जायेगी। अति गरीब और विकलांगों को भी छात्रवृत्ति दी जायेगी। उपर्युक्त छात्रवृत्तियाँ उस छात्र को देय नहीं होगी जो अन्य किसी संस्था/निकाय/विभाग/समाज से छात्रवृत्ति ले रहा होगा।
4. 90 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति वाले छात्र को महाविद्यालय द्वारा पुरस्कृत किया जायेगा।

अन्य

1. लैब शुल्क स्नातक स्तरीय भूगोल के छात्रों से 1500 रू. एवं शारीरिक शिक्षा के छात्रों से 1050 रू. प्रतिवर्ष सितम्बर माह में लिया जायेगा।
2. लैब शुल्क – (क) प्रत्येक विज्ञान संकाय के छात्र से प्रायोगिक शुल्क रू. 1500 प्रति वर्ष प्रति विषय सितम्बर में देय होगा।
3. स्थानान्तरण प्रमाण पत्र शुल्क 100/– रूपये।
4. चरित्र प्रमाण पत्र शुल्क 100/– रूपये।
5. परिचय पत्र गुम हो जाने पर शुल्क – 100 /– रूपये (शपथ पत्र अलग से देना होगा)
6. राज्य सरकार के आदेशानुसार स्काउट गाइड शुल्क – 10 /– रूपये प्रवेश के समय अलग से देय होगा।

STAFF LIST (2025-26)

S.No.	Name of Lecturer	Qualification	Subject	Mobile No.
1.	Dr. Mahesh Hapawat (Principal)	M.Com., Ph.D., NET	Bus. Adm.	9414456160
2.	Dr. Kuldeep Singh	M.A., Ph.D, NET, SET	Geog.	9887064121
3.	Dr. Dasharath Singh Shekhawat	M.A., M.Ed., NET, Ph.D	Geog.	9414556082
4.	Sh. Mukesh Singh	M.A., M.Phil, NET	Geog.	9784657099
5.	Sh. Indrajeet Ratawal	M.A., M.Phil, NET, SET, JRF	Geog.	9785080080
6.	Sh. Bhawani Singh Khichi	M.A., NET	Geog.	9782788426, 7014947143
7.	Ms. Priyanka Chaudhary	M.A., B.Ed., NET	Geog.	7014938280
8.	Dr. Shahid Ahmed	M.A., B.Ed., M.Phil, NET, Ph.D, B.J.M.C.	History	9414623867
9.	Sh. Rahis Khan	M.A., NET, B.Lib,Diploma (Persian), B.Ed.	History	9694016985
10.	Dr. Narendra Singh	M.A., M.Phil, Ph.D, SLET	Pol. Sc.	9460134984
11.	Dr. Jagat Singh	Ph.D., NET, SET	Pol. Sc.	9413969943
12.	Dr. Anoop Ratanawat	M.A., B.Ed, Ph.D.	Pol. Sc.	6350267945
13.	Sh. Mukesh Kumar Lakhiwal	M.A., NET	Pub. Adm.	9530382531
14.	Ms. Nirmal Kumari	M.A., B.Ed.	Econ.	8769815784
15.	Dr. Yogendra Singh	M.A., M.Phil, Ph.D, NET	Soci.	9413616070
16.	Sh. Tek Chand Bakolia	M.A., NET, SLET, B.Ed.	Soci.	9887229232
17.	Dr. Mukta Sharma	M.A., Ph.D, B.Ed.	Hindi Lit.	9460528756, 9461812939
18.	Smt. Pinkesh Mertiya	M.A., B.Ed., NET	Hindi Lit.	9413156532
19.	Smt. Sonu Panwar	M.A., M.Phil	English	9783157745
20.	Dr. Shiv Singh Solanki	M.A., Ph.D	English	9829460925, 9784288395
21.	Dr. Manjeet Singh Shekhawat	M.Sc., SET, Ph.D	Botany	9414520449, 6350160077
22.	Dr. Rachana Shrivastav	M.Sc., Ph.D	Botany	9649122123
23.	Ms. Rajkumari Sharma	M.Sc., NET	Botany	7690058192
24.	Dr. Lalita Mishra	M.Sc., Ph.D	Botany	9413624383
25.	Dr. Visheshata Joshi	M.Sc., Ph.D	Zoology	9828383122
26.	Dr. Harkesh Rathore	M.Sc., Ph.D	Zoology	9024266876
27.	Dr. Priya Gupta	M.Sc., Ph.D	Zoology	7733850970
28.	Ms. Himani Charan	M.Sc., NET	Zoology	7597650453, 9024700914
29.	Dr. Raj Kumar Sharma	M.Sc., NET, SLET, Ph.D	Chemistry	9414594007
30.	Dr. Nirupama Jadoon	M.Sc., Ph.D.	Chemistry	9602607304, 7976701274
31.	Dr. Monika Sharma	M.Sc., Ph.D.	Chemistry	9214939896, 9828161499
32.	Dr. Bhavna Walia	M.Sc., M.Phil, Ph.D.	Chemistry	9782398689
33.	Sh. Prakash Raja	M.Sc., NET, SET	Chemistry	9024564384
34.	Dr. Vijay Kumar Shukla	M.Sc., Ph.D	Physics	7014826399
35.	Sh. Lekhraj Prajapat	M.Sc., NET	Physics	9529630306, 9610258802
36.	Sh. Ghanshyam Yadav	M.Sc., NET	Physics	9929909043
37.	Dr. Vinodini Shaktawat	M.Sc., Ph.D	Physics	7568594868
38.	Sh. Chanchal Singh Shekhawat	M.Sc., SET	Physics	7849912015
39.	Dr. Prakash Chand Goyal	M.Sc., Ph.D	Maths	9928823779
40.	Sh. Kripal Singh Tanwar	M.Sc.	Maths	6377267401
41.	Dr. Sushil Bhawaria	M.Sc., Ph.D	Maths	9587094281
42.	Dr. Virendra Goyal	M.Com, M.Phil, Ph.D	Bus. Adm.	9950752879
43.	Sh. Suraj Pal Singh Solanki	M.Com, M.Phil	Bus. Adm.	9929720092

STAFF LIST (2025-26)

S.No.	Name of Lecturer	Qualification	Subject	Mobile No.
44.	Sh. Sanjay Kumar Chhipa	M.Com, M.Phil, NET	EAFM	9928463122
45.	Dr. Archana Choudhary	M.Com, M.Phil, SET, Ph.D	EAFM	9460134740
46.	Dr. Neelam Shekhawat	M.Com, Ph.D	ABST	8094462153
47.	Sh. Niraj Kumawat	M.Com, NET	ABST	9660378788
48.	Maj. V. S. Rathore	M.Com, M.PEd, M.Phil	D.P.E (N.C.C.Off.)	9784460955
49.	Sh. Vikram Singh Shekhawat	B.PEd, M.PEd	DPE (NCC Officer)	9024992438
50.	Smt. Kailash Shekhawat	M.A., B.Ed., M. Phil	NCC Girls Instru.	7597647339
51.	Ms. Mahima Kanwar	MCA	Computer	7690849874
52.	Ms. Divyeshwari Chauhan	MCA	Computer	9460702809
53.	Sh. Shailesh Sharma	MBA Finance, M.Com., B.Ed., PGDCA	Accountant	8560840805
54.	Sh. Pradhuman Singh Shekhawat	M.Com. (B.Adm.), DCA	Clerk	8003513099
55.	Sh. Viraj Singh	B.A.	Clerk	9694093488
56.	Sh. Mannu Bundel	B.Com., M.Com., Diploma in ME	Clerk	9983416897
57.	Sh. Rajendra Singh Nathawat	B.A., Comp. Diploma, I.T.I., RS-CIT	Clerk	9928851775
58.	Sh. Mukesh Singh Shekhawat	B.A. B.Ed., B.Lib, M.Lib	Clerk	8824537116
59.	Ms. Arpita Saxena	MBA in HR	Counselor	8302458778
60.	Sh. Shakti Singh	M.Sc., B.Ed.	Lab Assit.	9636777267
61.	Sh. Ganesh Ram Yadav	B.Com, ITI	Lab Assit.	9001012166
62.	Sh. Chandan Lakhiwal	B.Sc., B.Ed.	Lab Assit.	8386981499
63.	Ms. Promila Tanwar	M.A., B.Ed.	Lab Assit.	9001286958
64.	Sh. Gyarsi Lal	ITI	Lab Assit.	9928830488
65.	Smt. Raj Kanwar	(M.A.), B.Lib., M.Lib	Librarian	7023570058
66.	Smt. Heeramani Dadhich	B.A., B.Lib., M.Lib.	Librarian	9785879794
67.	Smt. Usha Kanwar	B.A., B.Lib., M.Lib.	Asst. Librarian	9829088547
68.	Smt. Asha Kanwar	12th, ITI in (COPA)	Book Lifter	7665974023
69.	Smt. Sunita Kanwar	B.A.	Book Lifter	7976012211
70.	Sh. Vikram Singh Rathore	B.Sc., B.Ed., CTET	Asst. Librarian	9982012699
71.	Smt. Kamod Kanwar		Fourth Class	9983084101
72.	Smt. Urmila Kanwar		Fourth Class	7665430861
73.	Sh. Kan Singh		Fourth Class	9660325038
74.	Smt. Bhanwar Kanwar		Fourth Class	7877296820
75.	Sh. Rajendra Singh Parihar		Civil Supervisor	9001406301, 9166206831
76.	Smt. Manju Kanwar		Fourth Class	9983219631
77.	Sh. Budh Singh		Fourth Class	7742171985
78.	Sh. Pinka Ram		Fourth Class	
79.	Smt. Manju Gurjar		Fourth Class	
80.	Sh. Ravindra Singh Jodha		Chokidar	
81.	Sh. Gajendra Singh		Chokidar	9929919119
82.	Sh. Banwari Lal		Gardner	9784034156
83.	Smt. Santosh		Sweeper	7568585238
84.	Ms. Deepa		Sweeper	9602867569

महाविद्यालय में पाठ्येत्तर गतिविधियां

राष्ट्रीय केडेट कोर : महाविद्यालय में एन.सी.सी. आर्मी विंग ईकाई का एक प्लाटून नियमित रूप से कार्यरत है। इसमें कुल 54 कैडेट्स का प्रवेश सुनिश्चित है। इसके अतिरिक्त आर्मड, एयरविंग एवं नेवल विंग में खुली भर्ती से लगभग 70 कैडेट्स का चयन होता है। प्रवेश, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार, शारीरिक परीक्षा की योग्यता के आधार पर दिया जाता है। प्रवेश के समय ही अलग से निश्चित प्रार्थना पत्र भरकर एन.सी.सी. अधिकारी को देने पर प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ होती है। एन.सी.सी. का 'उद्देश्य' ''एकता एवं अनुशासन'' है। एन.सी.सी. के तीन स्तर के शिविर यथा बटालियन, ग्रुप अथवा राज्य एवम् राष्ट्रीय स्तर के शिविर होते है। जिनमें क्रमशः वार्षिक प्रशिक्षण शिविर, राज्य स्तरीय आर.डी. शिविर और रिपब्लिक–डे शिविर, एडवेन्चर शिविर, नियमित सेना के साथ शिविर आदि महत्वपूर्ण है। विद्यार्थी को 'बी' एवं 'सी' प्रमाण पत्र परीक्षा मे सफल होने पर देय है। 'सी' प्रमाण पत्र पाने पर कैडेट आर्मी में सीधी भर्ती हेतु योग्य पात्र बन जाता है। पुलिस, पेरा मिलिट्री फोर्सिज आदि में भी 'सी' प्रमाण पत्र योग्यताधारी को वरीयता दी जाती है। एन.सी.सी.के कैडेट्स का अब वार्षिक प्रशिक्षण शिविर में रोजगार हेतु प्लेसमेंट भी होता है। इसके लिए वेदान्ता ग्रुप ने अपनी सहमति दी है। एन.सी.सी में देश/विदेश भ्रमण का अवसर मिलता है। पेराजम्पिंग लीडरशिप कोर्स के साथ NIC, BLC केम्प में भाग लेते हैं तथा श्रेष्ठ एन.सी.सी. केडेट्स को भारत सरकार एवं अन्य संगठनों द्वारा छात्रवृत्तियां भी प्रदान की जाती हैं। गणतन्त्र दिवस के अवसर पर 5 से 8 कैडेट्स आर.डी. परेड में भाग लेते है।

रोवर-स्काउटिंग : स्काउटिंग ''सुनागरिकता'' की ओर एक आदर्श क्रियान्विति है। स्काउटिंग के माध्यम से छात्र का चरित्र, कला–कौशल, नेतृत्व शक्ति एवं सेवाभाव प्रगाढ़ता को प्राप्त होते हैं। छात्र में प्रेम, सद्व्यवहार और सर्वधर्म समभाव की भावना उत्पन्न करता है। स्काउट में निपुण एवं राज्य पुरस्कार एवं राष्ट्रपति रोवर अवार्ड जैसे प्रमाण–पत्र प्राप्त होते है। रोवर स्काउटिंग में छात्र को स्थानीय संघ मण्डल स्तर, राज्य स्तर एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के शिविरों में भाग लेने की अनुमति दी जाती है। स्काउट का उद्देश्य सेवा है। स्काउट में अनेक गतिविधियाँ की जाती है। जैसे – गर्मीयों में पक्षियों हेतु परीड़ों में पानी भरना, स्टेशनों पर गर्मी में यात्रियों को पानी उपलब्ध करवाना, बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओं के लिए रेलियों का आयोजन करना जैसी अनेक गतिविधियों का आयोजन होता है। इसमें 24 छात्रों का क्रू महाविद्यालय में कार्यरत है। राष्ट्रपति रोवर अवार्ड के तहत छात्र को रेलवे में नौकरी में सीधा भर्ती दी जाती है। उच्च कक्षाओं में प्रवेश तथा नौकरी में इस आदोलन द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्रों को वरीयता दी जाती हैं। महाविद्यालय के क्रू के पूर्व रोवर लीडर डॉ. एम. एल. शर्मा (पूर्व प्राचार्य) को 23 सितम्बर 2009 को महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने राष्ट्रपति भवन के अशोका हॉल में ''सिल्वर स्टार'' राष्ट्रपति अवार्ड प्रदान किया जो कि एक कीर्तिमान है। इसी प्रकार महामहिम उपराष्ट्रपति श्री हामिद अंसारी महोदय ने उपराष्ट्रपति भवन में 2.9.11 को उपराष्ट्रपति अवार्ड सीनियर रोवर रवि शर्मा को प्रदान किया।

राष्ट्रीय सेवा योजना : भारत सरकार, युवा एवं खेल मंत्रालय के क्षेत्रीय निदेशालय राष्ट्रीय सेवा योजना जयपुर के तहत महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की दो ईकाईयाँ संचालित है जिसमें प्रति सत्र 100–100 छात्र–छात्राओं को दो वर्ष के लिए पंजीकृत किया जाता है। इसमें प्रत्येक स्वयंसेवक को प्रति सत्र 120 घंटे सेवा कार्य करते हुये कुल 240 घंटे सेवा कार्य करना होता है। पंजीकृत स्वयंसेवकों को प्रति सत्र तीन एकदिवसीय शिविर व कोई एक सत्र में एक सात दिवसीय विशेष शिविर में भाग लेना अनिवार्य है। इसके अतिक्ति स्वयंसेवकों को राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय एकता शिविर, एडवेंचर शिविर, प्री आर डी कैम्प तथा आर डी कैम्प में भाग लेने का अवसर भी मिलता है। उपरोक्त सभी गतिविधियों व शिविरों के प्रमाण–पत्र स्वयंसेवकों को प्रदान किये जाते है जिनसे स्वयंसेवकों को एक से चार अंकों का अतिरिक्त लाभ मिलता है।

खेल-कूद के तहत संचालित कार्यक्रमों का विवरण सत्र 2024-25

राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अन्तरमहाविद्यालय खेलकूद प्रतियोगतिओं में सत्र 2024–25 में महाविद्यालय के छात्र–छात्राओं ने निम्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया :–

1. **कबड्डी - 07.10.24 से 09.10.24 :** दिनांक 07.10.24 से 09.10.24 तक राजस्थान विश्वविद्यालय में आयोजित अन्तरमहाविद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। महाविद्यालय की टीम उपविजेता रही, तथा छात्र अभिषेक बडासरा, दीपक चौधरी तथा नीरज सिंह का पश्चिम खेल कबड्डी में चयन हुआ।
2. **फुटबॉल - 14.10.24 से 15.10.24 :** दिनांक 14.10.24 से 15.10.24 तक आयोजित अन्तरमहाविद्यालय फुटबॉल प्रतियोगिता में भाग लिया। यह प्रतियोगिता वाणिज्य महाविद्यालय में आयोजित हुई।
3. **बैडमिन्टन - 18.10.24 से 21.10.24 :** दिनांक 18.10.24 से 21.10.24 तक अन्तरमहाविद्यालय बैडमिन्टन प्रतियोगिता राजस्थान विश्वविद्यालय खेल बोर्ड में आयोजित हुई। उसमें महाविद्यालय की पुरूष/महिला टीम ने भाग लिया।

4. **बास्केटबॉल – 18.10.24 से 20.10.24 :** दिनांक 18.10.24 से 20.10.24 तक आयोजित अन्तरमहाविद्यालय बास्केटबॉल प्रतियोगिता महावीर कॉलेज जयपुर में आयोजित हुई। उसमें महाविद्यालय का छात्र राजवीर सिंह शेखावत का चयन पश्चिम क्षेत्र प्रतियोगिता के लिए हुआ तथा इसमें ऑल इण्डिया यूनिवर्सिटी में रजत पदक प्राप्त किया।

5. **योगा – 19.10.24 से :** दिनांक 19.10.24 को अन्तरमहाविद्यालय योगा प्रतियोगिता राजस्थान विश्वविद्यालय में आयोजित हुई। उसमें महाविद्यालय के छात्र विनय कुमार का चयन अखिल भारतीय विश्वविद्यालय प्रतियोगिता के लिए हुआ।

6. **तायक्वोंडो – 24.10.24 से :** दिनांक 24.10.24 से अन्तरमहाविद्यालय तायक्वोंडो स्पोर्ट्स बोर्ड में आयोजित हुई, उसमें महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं ने भाग लिया। उसमें महाविद्यालय के छात्र आर्यन यादव का चयन अखिल भारतीय विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में हुआ।

7. **तीरंदाजी – 24.10.24 से 25.10.24 :** दिनांक 24.10.24 से 25.10.24 तक अन्तरमहाविद्यालय तीरंदाजी प्रतियोगिता राजस्थान विश्वविद्यालय में आयोजित हुई, उसमें महाविद्यालय की छात्रा ने भाग लिया।

8. **क्रॉस-कंट्री – 27.10.24 :** दिनांक 27.10.24 को आयोजित अन्तरमहाविद्यालय क्रॉस–कंट्री प्रतियोगिता सेन्ट जेवीयर महाविद्यालय में आयोजित हुई। उसमें महाविद्यालय की टीम ने भाग लिया।

9. **साइकिलिंग – 07.11.24 से 08.11.24 :** दिनांक 07.11.24 से 08.11.24 अन्तरमहाविद्यालय साइकिलिंग प्रतियोगिता में महाविद्यालय की टीम ने भाग लिया। यह प्रतियोगिता 7 व 8 नवम्बर को विश्वविद्यालय चयन बोर्ड में आयोजित हुई।

10. **रग्बी – 08.11.24 से 09.11.24 :** दिनांक 08.11.24 से 09.11.24 को रग्बी टीम का चयन हुआ। इसमें महाविद्यालय का छात्र निखिल पाण्डा का चयन अखिल भारतीय विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता में चयन हुआ।

11. **भारोत्तोलन – 11.11.24 से 12.11.24 :** दिनांक 11.11.24 से 12.11.24 तक महाराजा कॉलेज में आयोजित अन्तरमहाविद्यालय भारोत्तोलन शरीर सौष्ठव प्रतियोगिता आयोजित हुई। उसमें भारोत्तोन प्रतियोगिता में भगवान सिंह शेखावत ने शरीर सौष्ठव प्रतियोगिता में सचिन मीणा ने ऑल इण्डिया विश्वविद्यालय में भाग लिया।

12. **स्क्वैश रैकेट – 11.11.24 से 12.11.24 :** दिनांक 11.11.24 से 12.11.24 तक सुबोध कॉलेज में स्क्वैश रैकेट प्रतियोगिता आयोजित हुई। रागवेन्द्र सिंह राठौड़ का चयन ऑल इण्डिया विश्वविद्यालय खेल में चयन हुआ।

13. **जूडो – 14.11.24 से 16.11.24 :** दिनांक 14.11.24 से 16.11.24 तक अन्तरमहाविद्यालय जूडो प्रतियोगिता एल.बी.एस कॉलेज में आयोजित हुई उसमें महाविद्यालय की टीम ने भाग लिया।

14. **क्रिकेट – 15.11.24 से 18.11.24 :** दिनांक 15.11.24 से 18.11.24 तक अन्तरमहाविद्यालय क्रिकेट प्रतियोगिता कॉमर्स कॉलेज में आयोजित हुई। उसमें महाविद्यालय की टीम ने भाग लिया।

15. **राइफल शूटिंग – 16.11.24 से 17.11.24 :** दिनांक 16.11.24 से 17.11.24 तक अन्तरमहाविद्यालय शूटिंग (रायफल, पिस्टल) प्रतियोगिता आयोजित हुई, उसमें महाविद्यालय के छात्र भूपेन्द्र सिंह शेखावत ने ऑल इण्डिया शूटिंग प्रतियोगिता में भाग लिया। भूपेन्द्र सिंह शेखावत का खेलो इण्डिया में चयन हुआ।

16. **वॉलीबॉल – 18.11.24 से 19.11.24 :** दिनांक 18.11.24 से 19.11.24 तक अन्तरमहाविद्यालय वॉलीबाल प्रतियोगिता बियानी कॉलेज कालवाड़ में आयोजित हुई, उसमें महाविद्यालय के छात्र प्रशान्त जागिंड़ का चयन पश्चिम क्षेत्र खेल प्रतियोगिता हेतु हुआ।

17. **एथलेटिक्स– 28.11.24 से 30.11.24 :** दिनांक 28.11.24 से 30.11.24 तक अन्तरमहाविद्यालय एथलेटिक्स प्रतियोगिता विश्वविद्यालय खेल बोर्ड में आयोजित की गई। उसमें सोहिब खान ने गोला फेक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त किया।

18. **नेटबॉल– 02.12.24 से 03.12.24 :** दिनांक 02.12.24 से 03.12.24 तक अन्तरमहाविद्यालय नेटबॉल प्रतियोगिता ज्ञान विहार विश्वविद्यालय में आयोजित हुई। उसमें महाविद्यालय के छात्र शुभम सिंह नाथावत व नंदिनी शेखावत का ऑल इण्डिया इन्टर यूनिवर्सिटी हेतु चयन हुआ।

19. **खो-खो – 10.12.24 से 12.12.24 :** दिनांक 10.12.24 से 12.12.24 तक राजस्थान कॉलेज में अन्तरमहाविद्यालय खो–खो प्रतियोगिता आयोजित हुई। उसमें महाविद्यालय की टीम ने भाग लिया तथा विकास टोडावटा, अजय महावर एवं योगेश कुमार राजोरिया का चयन हुआ।

20. **हैण्डबॉल– 20.12.24 से 21.12.24 :** दिनांक 20.12.24 से 21.12.24 तक अन्तरमहाविद्यालय हैण्डबॉल प्रतियोगिता महाराजा कॉलेज में आयोजित हुई। उसमें वीरेन्द्र सिंह शेखावत का चयन पश्चिम क्षेत्र प्रतियोगिता के लिए हुआ।

राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC 2024-25)

महाविद्यालय में NCC की दो ईकाईयाँ संचालित है। एक SFS है उसकी कैडेट संख्या 54 है व इसके प्रभारी मेजर विरेन्द्र सिंह राठौड़ है। दूसरी ईकाई SFSF है उसकी कैडेट संख्या 140 है व इसके प्रभारी लै. विक्रम सिंह शेखावत है।

- दिनांक 26 जनवरी 2025 को महाविद्यालय के तीन कैडेट सीनियर अण्डर ऑफिसर श्याम प्रताप सिंह राठौड़ व सीनियर अण्डर ऑफिसर यशपाल सिंह शेखावत व सार्जेन्ट खुशी शर्मा ने R.D. परेड नई दिल्ली में भाग लिया।
- सार्जेन्ट खुशी शर्मा का बेस्ट कैडेट के लिये चयन किया गया।
- फरवरी 2025 में आयोजित C प्रमाण पत्र परीक्षा में महाविद्यालय के 39 कैडेट्स ने परीक्षा दी।
- मार्च 2025 में आयोजित B प्रमाण पत्र परीक्षा में महाविद्यालय के 43 कैडेट्स ने परीक्षा दी।
- मई 2024, हैदराबाद में आयोजित ''एक भारत श्रेष्ठ भारत'' कैम्प में महाविद्यालय के एन.सी.सी. अभय सिंह, राहुल सिंह, विकास राजपूत और महेश शर्मा ने भाग लिया।
- जून 2024 में हिमाचल प्रदेश में नेशनल कैम्प में महाविद्यालय की सीनियर अण्डर आफिसर योगिता राठौड़ व सोनल राठौड़ ने भाग लिया।
- महाविद्यालय के निम्नलिखित कैडेट B व C प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारतीय सेना व अर्द्ध सैनिक बल भारतीय वायु सेना में भर्ती हुए :

निशा कँवर	भारतीय वायु सेना
राजवीर सिंह शेखावत	भारतीय वायु सेना
राधिका	G.S.T
हिमांशु सिंह	भारतीय सेना
तरूण सिंह	भारतीय सेना
राहुल सिंह	भारतीय सेना
अवनीश	भारतीय सेना
हिमांशु यादव	भारतीय सेना
विरेन्द्र सिंह	राष्ट्रपति बॉडीगार्ड

- महाविद्यालय के निम्न कैडेट रेगुलर आर्मी अटेचमेन्ट में भाग लिया।
  युवराज सिंह, नरेश सिंह, साहिल खान, यशपाल सिंह सिसोदिया, राज करण
- टैकिंग कैम्प – निखिल, राघवेन्द्र सिंह
- EBSB – महेश शर्मा, विकास राजपूत, प्रतिक्षा शेखावत, गरीमा राठौड़
- महाविद्यालय के कैडेट सवाई मान सिंह स्टेडियम में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भी भाग लेते है।
- महाविद्यालय के कैडेट्स ने 21 जून को योगा डे में भाग लिया।
- महाविद्यालय के छात्र शूटिंग कैम्प, वृक्षारोपण, सड़क सुरक्षा, आपदा प्रबन्धन, स्वच्छता अभियान, रक्तदान कैम्प, मैराथन आदि एन.सी.सी. गतिविधियों में भाग लेते है।
- प्रतिवर्ष महाविद्यालय में 15 अगस्त व 26 जनवरी को सामूहिक कार्यक्रम में एन.सी.सी. परेड़ में शामिल होते है।

राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS 2024-25)

- सत्र 2024–25 में जुलाई–अगस्त माह के दौरान महाविद्यालय में संचालित राष्ट्रीय सेवा योजना की दोनों ईकाइयों के लिए 200 स्वयंसेवको का निर्धारित प्रक्रिया के तहत पंजीकरण किया गया।
- दिनांक 8 अगस्त 2024 को महाविद्यालय में NSS के तत्वाधान में पर्यावरण की शुद्धता के लिये ''एक वृक्ष मां के नाम'' से वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
- दिनांक 20 अगस्त 2024 को NSS की नियमित गतिविधियों के तहत सद्भावना/अक्षय ऊर्जा/शिक्षा अधिकार का कार्य दिवस आयोजित हुआ जिसमें तीनो विषयों के विशेषज्ञों ने स्वयंसेवको को उपयोगी जानकारी देकर लाभान्वित किया।
- दिनांक 29 अगस्त 2024 को महाविद्यालय में एनएसएस ईकाइयों द्वारा राष्ट्रीय खेल दिवस व एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया जिसमें खेल प्रभारी वीरेन्द्र सिंह ने स्वयंसेवकों को खेलों के माध्यम से कैरियर निर्माण की उपयोगी जानकारी दी।

- दिनांक 05 सितम्बर 2024 को शिक्षक दिवस के उपलक्ष में एनएसएस (NSS) के तत्वाधान में शिक्षक दिवस मनाया गया जिसमें स्वयंसेवकों ने सभी शिक्षकों का तिलक लगाकर सम्मान किया साथ ही प्राचार्य सहित तीनो अधिवक्ताओं ने सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन से शिक्षा लेने हेतु प्रेरित किया।
- दिनांक 17 सितम्बर से 02 अक्टूबर 2024 तक महाविद्यालय में एनएसएस के तहत भारत सरकार युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम ''स्वच्छता ही सेवा अभियान'' आयोजित किया गया। जिसमें महाविद्यालय परिसर, सीकर रोड़, चौमू पुलिया तथा ढहर का बालाजी रेलवे स्टेशन पर स्वयंसेवकों ने सफाई करते हुये स्वच्छता का संदेश दिया।
- दिनांक 24 सितम्बर 2024 को महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की ईकाइयो द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस का आयोजन किया गया जिसमें स्वयंसेवको को कार्यक्रम अधिकारियो ने एनएसएस सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी देते हुये एनएसएस द्वारा मिलने वाले परिलाभों की विस्तृत जानकारी दी।
- दिनांक 02 अक्टूबर 2024 को एनएसएस द्वारा गांधी जयंती पर ''अन्तरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस'' मनाया गया जिसमें गांधीजी के जीवन से शिक्षा लेने की चर्चा के साथ 17 सितम्बर से प्रारम्भ स्वच्छता अभियान का समापन कार्यक्रम स्वच्छता के लिये संकल्प लेने के साथ हुआ।
- दिनांक 16 अक्टूबर 2024 को महाविद्यालय में एनएसएस ईकाइयो के तहत ''विश्व खाद्य दिवस'' का आयोजन किया गया जिसमें वर्तमान समय की खाद्य समस्याओं पर चर्चा की गई तथा भोजन के पूर्ण उपयोग हेतु स्वयंसेवकों को प्रेरित किया गया।
- दिनांक 14 नवम्बर 2024 को महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की ईकाइयो द्वारा एक नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया जिसमें शंकरा आई हॉस्पिटल से पधारे नेत्र चिकित्सकों के दल ने स्वयंसेवकों सहित लगभग 500 व्यक्तियों की आंखों की जांच की आवश्यक सुझाव दिये।
- दिनांक 25 नवम्बर 2024 को एनएसएस द्वारा अन्तरराष्ट्रीय ''महिलाओं के विरूद्ध हिंसा'' विरोधी दिवस मनाया गया जिसमें स्वयंसेवको को मुख्यवक्ता अतिरिक्त अधिक्षक श्री सुरेन्द्र सिंह ने उपरोक्त विषय पर महत्वपूर्ण जानकारी देते हुये उचित भूमिका निभाने हेतु प्रेरित किया।
- दिनांक 26 नवम्बर 2024 को संविधान दिवस के उपलक्ष में राज्य सरकार द्वारा आयोजित ''संविधान दिवस पर पद संचलन'' के कार्यक्रम में महाविद्यालय की एनएसएस ईकाइयों के स्वयंसेवकों ने चित्रकूट स्टेडियम जाकर सहभागिता दी।
- दिनांक 12 दिसम्बर 2024 को राज्य सरकार द्वारा युवाओं के लिए आयोजित ''रन फॉर विकसित राजस्थान'' के कार्यक्रम में महाविद्यालय की एनएसएस ईकाइयों के स्वयंसेवको ने विधानसभा रोड़ पर कार्यक्रम में भाग लेकर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनन्द लिया।
- दिनांक 16 दिसम्बर 2024 को महाविद्यालय में ''देश का प्रकृति परीक्षण अभियान'' कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसे राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वाधान में एनएसएस ईकाइयों द्वारा महाविद्यालय में सम्पन्न करवाया गया। इसमें सभी छात्र–छात्राओं ने निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपनी शारीरिक प्रकृति को जानकर उचित मार्गदर्शन प्राप्त किया।
- दिनांक 24 दिसम्बर 2024 को राज्य सरकार द्वारा जवाहर कला केन्द्र में ''सरस राज सखी राष्ट्रीय मेले'' का आयोजन किया गया जिसमें महाविद्यालय की एनएसएस ईकाईयों के सभी स्वयंसेवकों ने वहा जाकर महिला सशक्तिकरण के एक उत्कृष्ठ मंच के द्वारा ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण और आत्म निर्भरता को प्रत्यक्ष रूप से देखकर इस दिशा में सकारात्मक प्रोत्साहन प्राप्त किया।
- दिनांक 12 जनवरी 2025 को महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना ईकाइयों द्वारा ''राष्ट्रीय युवा दिवस'' मनाया गया जिसमें वक्ताओं ने स्वामी विवेकानन्द के जीवन प्रसंगों द्वारा स्वयंसेवकों को समाज सेवा के माध्यम से व्यक्तित्व एवं चरित्र निर्माण की संकल्प के साथ शिक्षा ली।
- दिनांक 21 जनवरी से 27 जनवरी 2025 तक महाविद्यालय में NSS के तत्वाधान में सात दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया गया जिसका शुभारम्भ डॉ. गोविन्द शरण शर्मा, जिला समन्वयक NSS जयपुर ने किया। शिविर के दौरान प्रारंभिक सत्र आध्यात्मिक व स्वास्थ्य का था जिसमें स्वयंसेवकों को ध्यान, प्राणायाम तथा आसनो की विस्तृत जानकारी दी गई। दूसरा सत्र – सेवा सत्र में स्वयंसेवकों ने महाविद्यालय तथा गोद ली बस्ती में स्वच्छता अभियान, अखण्ड जोत, महिला सशक्तिकरण तथा सामाजिक आर्थिक सर्वे आदि कार्य किये। तृतीय बोद्धिक सत्र में स्वयंसेवकों ने सड़क सुरक्षा, प्राकृतिक चिकित्सा, प्राथमिक चिकित्सा व नागरिक सुरक्षा से सम्बन्धित प्रशिक्षण प्राप्त किये। अन्तिम मनोरंजन सत्र में खेलों व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का स्वयंसेवकों ने आनन्द लिया।
- दिनांक 08 मार्च 2025 को महाविद्यालय में NSS की ईकाइयों द्वारा ''अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस'' मनाया गया जिसमें ''जागरूक महिला सुरक्षित महिला'' विषय पर व्याख्यान आयोजित किया गया साथ ही महिला सशक्तिकरण हेतु अनेक बिन्दुओं पर चर्चा की गई।

Shri Bhawani Niketan P.G. College

Maharao Shekhaji Flyover, Sikar Road, Jaipur - 302039

AFFIDAVIT BY THE STUDENT ON ANTI-RAGGING

1) I, ...
....(full name of student with admission/registration/enrolment number) S/o D/0 Mr./Mrs./Ms. .... having been admitted to **Shri Bhawani Niketan P.G. College,** Sikar Road, Jaipur, have received a copy of the UGC Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009, (hereinafter called the "Regulations"), carefully read and fully understood the provisions contained in the said Regulations.

2) I have, in particular, perused clause 3 of the Regulations and am aware as to what constitutes ragging.

3) I have also, in particular, perused clause 7 and clause 9.1 of the Regulations and am fully aware of the penal and administrative action that is liable to be taken against me in case. I am found guilty of or abetting ragging, actively or passively, or being part of a conspiracy to promote ragging.

4) I hereby solemnly over and undertake that

   a) I will not indulge in any behaviour or act that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.

   b) I will not participate in or abet or propagate through any act of commission or omission that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.

5) I hereby affirm that, if found guilty of ragging, I am liable for punishment according to clause 9.1 of the Regulations, without prejudice to any other criminal action that may be taken against me under any penal law or any law for the time being in force.

6) I hereby declare that I have been expelled or debarred from admission in any institution in the country on account of being found quality of, abetting or being part of a conspiracy to promote, ragging; and further affirm that, in case the declaration is found to be untrue, I am aware that my admission is liable to be cancelled.

Declared this .... day of .... month of .... year.

Signature of deponent

Name :

VERIFICATION

Verified that the contents of this affidavit are true to the best of my knowledge and no part of the affidavit is false and nothing has been concealed of misstated therein.

Verified at .... (place) .... on this the .... (day) .... of .... (month) .... (year) ....

Signature of deponent

Our Praisable Students - 2025

SOURABH KUMAWAT RECEIVING GOLD MEDAL FOR STANDING FIRST IN ORDER OF MERIT AT THE B.Sc., PHYSICS EXAM -2023

U.G. TOPPERS 2023-24

78.66%

Tanishq Khandal
B.Sc. (Biology)

72.59%

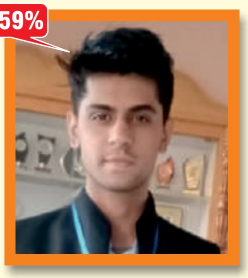

Jayesh Sharma
B.Sc. (Maths)

69.94%

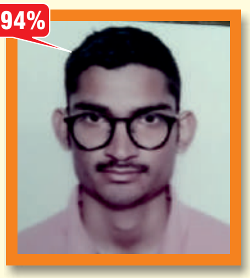

Harish Kumar Choudhary
B.A.

64.72%

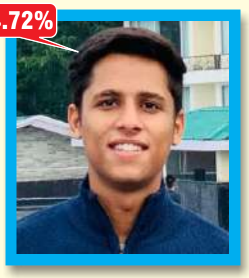

Bhimanshu Gupta
B.Com.

P.G. TOPPERS 2023-24

78.03%

Sneha Singh
M.Sc. (Chem.)

75.55%

Bharti Tailor
M.Sc. (Botany)

73.44%

Tanya Yadav
M.Sc. (Zoology)

71.00%

Aditya Yadav
M.Sc. (Maths)

68.88%

Pratyusha Kavia
M.A. (Pol. Sc.)

67.88%

Ishan Agarwal
M.Com. (ABST)

66.11%

Puneet Singh
M.A. (History)

66.00%

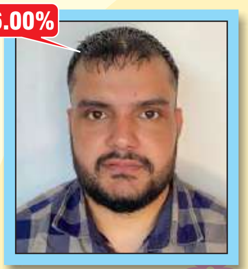

Praveen Singh
M.Sc. (Physics)

Cultural Activities in Mahavidyalaya

U.G. एवं P.G. कक्षाओं के नव आगंतुक विद्यार्थियों के लिए फ्रेशर्स पार्टी 2024 की झलकियां

Tours & Excursions Activities in Mahavidyalaya

रसायन शास्त्र के स्नातकोत्तर विद्यार्थियों का मथुरा वृंदावन पर शैक्षिक भ्रमण

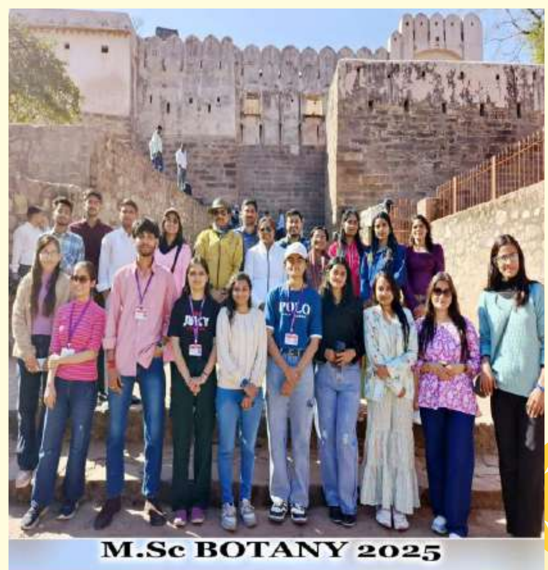

वनस्पति विज्ञान के स्नातकोत्तर विद्यार्थियों का शैक्षिक भ्रमण

गणित विभाग के स्नातकोत्तर विद्यार्थियों का शैक्षिक भ्रमण

भौतिक शास्त्र के स्नातकोत्तर विद्यार्थियों का शैक्षिक भ्रमण

भूगोल विभाग के स्नातकोत्तर विद्यार्थियों का शैक्षिक भ्रमण

जीव विज्ञान के स्नातकोत्तर विद्यार्थियों का शैक्षिक भ्रमण

Activities

Seminar Hall

Mathematics Topper Prize with HOD & Staff

Science Library में अध्ययन करते हुए छात्र व छात्राऐं

Arts Library में अध्ययन करते हुए छात्र व छात्राऐं

महाविद्यालय में Botanical Garden

Labs

रसायन शास्त्र प्रयोगशाला में प्रायोगिक कार्य करते हुए छात्र

वनस्पति शास्त्र प्रयोगशाला में प्रायोगिक कार्य करते हुए छात्र

प्राणी शास्त्र प्रयोगशाला में प्रायोगिक कार्य करती हुई छात्राएं

Labs

भौतिक शास्त्र प्रयोगशाला में प्रायोगिक कार्य करते हुए छात्र

कम्प्यूटर लैब में कार्य करते हुए छात्र व छात्राऐं

भूगोल प्रयोगशाला में अध्ययन करते हुए व प्रायोगिक कार्य करते हुए छात्र एवं छात्राएं

श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति द्वारा संचालित विभिन्न शिक्षण संस्थाओं का संक्षिप्त विवरण

श्री भवानी निकेतन इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेन्ट

(www.sbnitm.com) 8440059906, 9351227817

ब्रांच :
1. कम्प्यूटर साईंस एण्ड इंजीनियरिंग
2. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग
3. आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस
4. मैकेनिकल इंजीनियरिंग
5. सिविल इंजीनियरिंग

श्री भवानी निकेतन पॉलिटेक्निक

(www.sbnpolytechnic.com) 8440059906, 9351227815

पाठ्यक्रम :
1. मैकेनिकल इंजीनियरिंग
2. सिविल इंजीनियरिंग
3. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग
4. कम्प्यूटर साईंस
5. मैकेनिकल ऑटोमोबाईल इंजीनियरिंग

श्री भवानी निकेतन निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

(www.sbniti.com) 8619971299

पाठ्यक्रम :
1. इलेक्ट्रीशियन 2. फीटर
3. रेफ्रिजरेशन एण्ड एअर कंडीशनिंग
4. कम्प्यूटर ऑपरेटर एण्ड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट

श्री भवानी निकेतन विधि महाविद्यालय

(www.sbnlawcollege.com) 0141-2230183, 9664210051

तीन वर्षीय डिग्री कोर्स

श्री भवानी निकेतन कॉलेज ऑफ फार्मेसी

9251009824

डी-फार्मेसी - दो वर्षीय डिप्लोमा कोर्स

श्री भवानी निकेतन महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय

(www.shribhawaniniketanmm.com) 0141-2233953, 9414446094

विषय सुविधा :

1. स्नातकोत्तर स्तर:
   एम.ए.-1. भूगोल 2. अंग्रेजी 3. लोक प्रशासन 4. संस्कृत 5. राजनीति विज्ञान 6. मनोविज्ञान
   एम.एससी. -1. रसायन शास्त्र (Chemistry) 2. प्राणी शास्त्र (Zoology)
   एम.कॉम. - व्यवसायिक प्रशासन (Business Adm.)
2. स्नातक स्तर :
   कला संकाय-वैकल्पिक विषय : 1. राजनीति विज्ञान 2. अंग्रेजी साहित्य 3. संस्कृत 4. अर्थशास्त्र 5. गृह विज्ञान 6. लोक प्रशासन 7. समाज शास्त्र 8. हिन्दी साहित्य 9. भूगोल 10. संगीत 11. इतिहास 12. शारीरिक शिक्षा 13. ओ.एम.एस.पी. 14. मनोविज्ञान
   वाणिज्य संकाय - वैकल्पिक विषय : 1. लेखा एवं व्यवसायिक सांख्यिकी (ABST) 2. आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबन्ध (EAFM) 3. व्यवसायिक प्रशासन (Bus. Adm.)
   विज्ञान संकाय -1. भौतिक शास्त्र 2. रसायन शास्त्र 3. प्राणी शास्त्र 4. वनस्पति शास्त्र 5. गणित 6. भूगोल
   विज्ञान संकाय -बी.एस.सी. होम साइंस
3. 4 Years Integrated Course : B.A. B.Ed./B.Sc. B.Ed.

श्री भवानी निकेतन महिला छात्रावास 8560937807

150 छात्राओं के रहने की उत्तम व्यवस्था, पूर्णतया सुरक्षित, स्वच्छ, अनुशासित पर्यावरण युक्त वातावरण, प्रत्येक कमरे के साथ अटैच लेथ–बॉथ, खुले हवादार कक्ष, उत्तम भोजन व्यवस्था। वार्षिक शुल्क राशि रू. 50,000/– (तीन किश्तों में)।

श्री भवानी निकेतन छात्र छात्रावास 0141-2233890

छात्रों के रहने की उत्तम व्यवस्था, पूर्णतया सुरक्षित, स्वच्छ, अनुशासित पर्यावरण युक्त वातावरण सहित, खुले हवादार कक्ष, उत्तम भोजन व्यवस्था। वार्षिक शुल्क राशि रू. 50,000/– (तीन किश्तों में)।

श्री भवानी निकेतन स्नातकोत्तर महाविद्यालय

(www.sbnboyscollege.com) 0141-2233863, 2975851, 9414456160

विषय सुविधा :

1. स्नातकोत्तर स्तर: कला संकाय - 1. इतिहास 2. राज. विज्ञान 3. भूगोल
   विज्ञान संकाय - 1. रसायन शास्त्र 2. वनस्पति शास्त्र 3. प्राणी शास्त्र 4. भौतिक शास्त्र 5. गणित
   वाणिज्य संकाय - 1. लेखा एवं व्यवसायिक सांख्यिकी (ABST)
2. स्नातक स्तर : कला संकाय - वैकल्पिक विषय : 1. राजनीति विज्ञान 2. अंग्रेजी साहित्य 3. संस्कृत 4. अर्थशास्त्र 5. लोक प्रशासन 6. समाज शास्त्र 7. हिन्दी साहित्य 8. भूगोल 9. इतिहास 10. शारीरिक शिक्षा
   वाणिज्य संकाय - वैकल्पिक विषय : 1. लेखा एवं व्यवसायिक सांख्यिकी (ABST) 2. आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबन्ध (EAFM) 3. व्यवसायिक प्रशासन (Bus. Adm.)
   विज्ञान संकाय - (जीव विज्ञान एवं गणित) 1. भौतिक शास्त्र 2. रसायन शास्त्र 3. प्राणी शास्त्र 4. वनस्पति शास्त्र 5. गणित 6. भूगोल
   प्रोफेशनल पाठ्यक्रम - बी.बी.ए एवं बी.सी.ए.

श्री भवानी निकेतन शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय

(www.sbnttc.com) 0141-2235486, 9828595818

दो वर्षीय बी.एड. पाठ्यक्रम

कला :- 1.हिन्दी 2.अंग्रेजी 3.संस्कृत 4.भूगोल 5.नागरिक शास्त्र 6.सामाजिक विज्ञान 7.अर्थशास्त्र 8. इतिहास

विज्ञान :- 1.सामान्य विज्ञान 2.रसायन विज्ञान 3.जीव विज्ञान

वाणिज्य :- B.K & C.P.

दो वर्षीय बी.पीएड. (शारीरिक शिक्षा) पाठ्यक्रम 8619998455

Shri Bhawani Niketan Senior Secondary School

(www.sbnschool.com) 0141-2943956, 7976172102

SUBJECTS OFFERED (Co-Education, BSER English Medium)

Science Stream - Physics, Chemistry, Mathematics, Biology

Commerce Stream - Accountancy, Economics & Finance, Business Studies, Computer Science, Maths, Typing (Hindi & Eng.)

Agriculture Stream - Agriculture Biology/Chemistry, Agriculture

Humanities/Arts Stream - Economics, Political Science, Hindi Lit., Geography, History, Computer Science, Sanskrit Lit., Home Science

Shri Bhawani Niketan Girls Senior Secondary School

(www.sbngirlschool.com) 0141-2236980, 9828071003

SUBJECTS OFFERED (BSER English Medium)

Science Stream - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics, Agriculture

Commerce Stream - Accountancy, Economics, Computer Science, Business Studies

Arts Stream - Hindi Literature, Economics, English Literature, History, Sanskrit, Music, Geography

Shri Bhawani Niketan Public School

(www.sbnpublicschool.com) 0141-2235804, 9828011836

(Co-Education, English Medium), Affiliated to CBSE, New Delhi

Nursery, LKG, UKG & First to 12th Science, Commerce, Humanities

Sainik School

(www.sbnpublicschool.com) 0141-2235804, 9828011836

Affiliated to Ministry of Defence, New Delhi
(A unit of Shri Bhawani Niketan Public School)

श्री भवानी निकेतन भैरों सिंह क्रिकेट अकादमी

(जयपुर जिला क्रिकेट एसोसियेशन से मान्यता प्राप्त) 0141-2233890

विशेषताएं : दक्ष प्रशिक्षक, 6 सीमेन्ट के व 6 घास के विकेट एवं समस्त प्रकार की अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं से युक्त क्रिकेट अकादमी। प्रशिक्षण के लिये समस्त सुविधाओं से युक्त क्रिकेट स्टेडियम की सुविधा उपलब्ध।

विशेष : यह जयपुर शहर के एक विशाल परिसर में एकमात्र शिक्षण संस्थान है जो छात्र/छात्राओं के लिये नर्सरी से उच्च शिक्षा तक की सुविधा प्रदान कर रहा है। इन शिक्षण संस्थाओं की उन्नति आपके सहयोग से ही संभव है। इन शिक्षण संस्थाओं में अधिकतम छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिलाकर उन्नति में भागीदार बनें। आपके सहयोग की अभिलाषा के साथ।

सुदर्शन सिंह सुरपुरा, सचिव-श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति

महाविद्यालय के छात्र, महाविद्यालय की व्यायाम शाला (GYM) में व्यायाम करते हुए

महाविद्यालय की छात्राएँ, महाविद्यालय की व्यायाम शाला (GYM) में व्यायाम करते हुए

महाविद्यालय के छात्र, महाविद्यालय में बास्केटबॉल खेलते हुए

महाविद्यालय के छात्र, महाविद्यालय में वालीबॉल खेलते हुए

श्री भवानी निकेतन इण्डोर स्टेडियम

श्री भवानी निकेतन तरणताल (अन्तर्राष्ट्रीय स्तर)

श्री भवानी निकेतन क्रिकेट स्टेडियम

श्री भवानी निकेतन छात्र छात्रावास

श्री भवानी निकेतन स्नातकोत्तर महाविद्यालय भवन

श्री भवानी निकेतन स्नातकोत्तर महाविद्यालय के एन.सी.सी. कैडेट्स गणतन्त्र दिवस की परेड के अवसर पर

Printed by : Laxmi Printers # 9829125258